16.05 hrs.

Discussion re. Continuing atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, आज हम लोग फिर एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे है जिस पर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। जहां देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, जहां पंजाब जल रहा है और आसाम जलकर राख हो गया है वहीं इस देस देश में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, समाज के सबसे नीचे तबके के लोग, जिनको गांधी जी ने अन टू दी लास्ट कहा था, जो सबसे नीचे का पाया है, उसकी आंख में भी आंसू है। मैं जिन लोगों की जुबान नहीं है, जिनकी आंख गीली है, उनकी जुबान को आज यहां रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, जब मैं उनकी बात इस सदन में रखता हूं तो जहां हमें उस शोषित समाज के प्रति सहानुभूति है वहीं दूसरी ओर हमें इस समाज के प्रति गुस्सा भी है। आंख में जहां नमी आती है वहीं दूसरी ओर हमें क्रोध भी आता है।

सभापति महोदय, इस सदन में एक बार नहीं दर्जनो बार चर्चाएं हुई हैं और मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि हमारे जो गृह मंत्री हैं वे अक्षम है। मैं यह भी नही कहना चाहता कि हमारे गृह मंत्री जी के दिल में उनके प्रति कोई दया या स्नेह और आदर नहीं है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद समस्याएं और गंभीर होती जा रही हैं हम सोच रहे थे कि आजादी के बाद समय ज्यों-ज्यों बीतता जाएगा त्यों-त्यों इस देश में एक सौहार्द्र पूर्ण वातावरण कायम होता जाएगा। लोग स्वेच्छा से सबसे नीचे के लोगों को स्वत: अंगीकार करेंगे और उनको प्यार से गले लगाएंगे। लेकिन आज दिन-प्रति-दिन घटनाओं पर जब दृष्टिपात करते हैं तो कोई भी आदमी जिसके दिल में दया नाम की कोई चीज है, उसका दिल रोए बगैर नहीं रह सकता है।

जब हम यह पढ़ते हैं कि आज भी मुजफ्फर नगर में जो रक्षक है, जिसको रक्षा करने का काम सौंपा गया है वह पुलिस अधिकारी एक अछूत से पैसा मांगता है। जब वह पैसा नहीं देता तो खौलते कड़ाह जिसमें गुड़ बनाया जाता है उसमें उसको डाल दिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना इस देश में क्या हो सकती है जब देश का रक्षक इस प्रकार का काम करते हैं। पुलिस और बड़े-बड़े पूंजीपति; दोनों की सांठगांठ से, जिसको जहां मन होता है, किसी नक्सलाइट के नाम से, किसी को एक्ट्रीमिस्ट के नाम से, गोली से उड़ा दिया जाता है।

सभापति महोदय, अभी होली के दिन की घटना है। होली के दिन एक तरफ जहां गुलाल और रंग की होली खेली गई वहीं इन समुदायों के प्रति खून की होली खेली गई।

आठ आदिवासियों को महाराष्ट्र में गोली से उड़ा दिया गया। मध्य प्रदेश में दमोह जिले के गोंगरू गाँव में मन्दिर का एक पुजारी होली के दिन सबको गुलाल लगाता है। जब गांव का अनुसूचित जाति का व्यक्ति पंडित जी को गुलाल लगाने के लिए कहता है तो गुलाल के बदले उसको खून लगा दिया जाता है और उसकी हत्या की जाती है। बिहार की राजधानी पटना के पास मैसोड़ी एक जगह है जहां पर उसी दिन आठ लोगों की हत्या की गई। एक तरफ गरीब हैं और एक तरफ बड़े-बड़े पूंजीपति हैं। जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं उन्होंने अपने संगठन का नाम भूमि सेना रखा हुआ है। उन्होंने सबके ऊपर लेवी बांध रखी है

[श्री राम विलास पासवान]

कि भूमि सेना फण्ड में इतना रुपया देना पड़ेगा। जो नहीं देता है, उसे मार दिया जाता है यह अधिकारी के नालेज में है। वरिष्ठ आरक्षी अधीक्षक श्री किशोर कुमार ने पटना लौटने के बाद बताया कि अरुण कुमार की हत्या के बाद भूमि सेना के लोगों ने बाजार से लौटते हुए और खेत में सिंचाई करते हुए सात व्यक्तियों की हत्या कर दी। उनका नाम भी बतलाया गया। ये सब के सब लोग अनुसूचित जाति और वीकर सैक्शन के लोग हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाडमेर) : आप ही बताइए, ये भूमि सेना के लोग कौन हैं ?

श्री राम विलास पासवान : जो बड़े-बड़े जमींदार हैं, उनका एक संगठन है। मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था कि सब जगह ऐसी घटनाएं नहीं होती। कुछ स्थान हैं, जहां पर घटनाएं होती रहती हैं। इन घटनाओं को भी स्थानीय प्रशासन रोकने में सफल नहीं हो पाता तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी ? बेलछी और पिपरा की घटनाओं में नरसंहार हुआ है। पिपरा की घटना सरकार के आने के बाद हुई है। बेलछी की घटना को भी मैंने उठाया था। वह जनता पार्टी के समय में घटी थी। साठे साहब यहां हैं, इनको मालूम है। मैं पार्टी पालिटिक्स में नहीं जाना चाहता। ....(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी के लोग हों चाहे वे जनता पार्टी के हों, अगर वे हरिजनों के ऊपर जुल्म करते हैं तो उसको रोकने का काम आपका है। पटना जिला है। वहां स्थिति यह है कि पिछले चार सालों से वहां पर पुलिस राज कायम है। पुलिस आफिसर वहां जाता है और जाने के बाद बड़े-बड़े आदमियों के यहां ठहरता है और मुर्गी तथा शराब का सेवन करता है। उसके बाद वह कहता है कि कौन शेड्यूल्ड कास्ट्स का आदमी है जो तुम्हारे सामने सीना तानकर चलता है। जब बताया जाता है तो उसको गोली से उड़ा दिया जाता है। नवादा जिले के गोपालपुर गांव में 21 जनवरी की घटना है। भूमिपति ने पहले एक अनुसूचित जाति के घर में आग लगाई और आग लगाने के बाद 12 वर्ष के एक लड़के को आग में फेंक कर मार डाला। उसी जिले के काश्मीरा गांव की 23 फरवरी की घटना है। 80 हरिजनों के घर में दिन-दहाड़े आग लगाई गई और तुलसी मांझी नाम के एक शेड्यूल्ड कास्ट की हत्या कर दी गई। कारण क्या ? वह अपनी मजदूरी मांग रहा था। 26 जनवरी को ग्वालियर में बिचौली गांव में पानी लेने के प्रश्न पर झगड़ा हुआ, एक आदमी गया उसको कहा गया कि पानी नहीं लेने देंगे, और वह पम्पिंग सैट का पानी था, उसका लड़का जाता है राम हेत जिसकी उम्र 21 साल थी, उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस वहां पहुंचती है, तुरन्त गिरफ्तारी की जाती है और तुरन्त ही छोड़ दिया जाता है।

16 16 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER in the chair]

आप यदि अपनी रिपोर्ट को देखें, आपने जो जवाब दिया है इसी सदन में 14.3.84 को उसमें आपने कबूल किया है कि आन्ध्र प्रदेश में जहां शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों की 1980 में 14 हत्यायें हुई, 1981 में 9, 1982 में 16 और 1983 में 10 हत्यायें हुई। बिहार में जहां हत्यायें हुई 1980 में 57, वहीं 1981 में 69, 1982 में 72 और अक्तूबर 1983 तक 59। शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को देखें तो बिहार में शैड्यूल्ड ट्राइब्स की 1980 में 5 हत्यायें हुई, 1981 में 4, और 1982 में 5, गुजरात में जहां 1980 में 11 हत्यायें हुई, 1981 में 14, 1982 में 13

और 1983 में बढ़कर 20 हो गई । जम्मू कश्मीर में 1980 में 4 हत्यायें हुई, 1981 में 2, 1982 में 2 और 1983 में 1, कर्नाटक में 1980 में 18, 1981 में 24, 1982 में 19 और 1983 में 15 हत्यायें हुई । यह मैं फिगर्स इसलिए पढ़ रहा हूं जिससे आप यह देखते जायेंगे कि हत्यायें कहां-कहां बढ़ी हैं ? खासकर ऐसी स्टेट्स में बढ़ी हैं जहां आपकी पार्टी का शासन है । और वहां अपोजीशन की सरकारें हैं वहां या तो हत्यायें रुकी हुई हैं या कम हुई हैं ।

मध्य प्रदेश में 1980 में शैड्यूल्ड कास्ट की 68, शैड्यूल्ड ट्राइब्स की 33,. 1981 में शैड्यूल्ड कास्ट की 74 और ट्राइब्स की 67, 1982 में शैड्यूल्ड कास्ट की 88 और ट्राइब्स की बढ़कर हत्यायें हो गई 94 और 1983 में शैड्यूल्ड कास्ट की 108 । जहां शैड्यूल्ड कास्ट 1980 में 68 थीं वहां बढ़कर के 1983 में हो गई 108, और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की जहां 33 थीं वहां बढ़कर के हत्यायें 1982 में हो गई 94 और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की 1983 में बढ़कर 110 हो गई यह आपका पार्लियामेंट में जवाब है। महाराष्ट्र में जहां 1980 में 23 थीं, वहीं 1981 24, 1982 में 19 और 1983 में 17, पंजाब में 10 का बढ़कर के 13 हो गया । राजस्थान में 35, 35, 37 और दिसम्बर 1983 में 35 उत्तर प्रदेश में अकेले एक साल में 1980 में शैड्यूल्ड कास्ट की हत्यायें 236, 1981 में 214, 1982 में 208 और 1983 में हो गई 202 यह हैं हत्याओं के मामले । और दूसरी चीजें अलग हैं ।

यदि क्राइम की फिगर्स देखेंगे तो वह घट रही हैं, आपके कथनानुसार । और हमेशा सदन में कहा जाता है कि क्राइम रिपोर्टिंग घट रही हैं । इससे अंदाजा लगा सकते हैं चूंकि मरने वाले को जल्दी नहीं छिपाया जा सकता इसलिए वह संख्या बढ़ती रहती है । लेकिन जो रिपोर्टिंग का मामला होता है वह अफसर की मर्जी पर डिपेंड करता है चाहे तो लिखे न चाहे तो न लिखे । आज थाने पर डर के मारे लोग जाते ही नहीं हैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये क्योंकि लोग डरते हैं कि वहां पहले उनकी शामत आयेगी । क्लप्रिट का तो बाद में कुछ होगा ।

इस तरह की घटनाएं घट रही हैं । मैं आज से दो दिन पहले 25 व 26 तारीख को साशाराम में हो रहे शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्ज सम्मेलन में गया था । वहां लोगों ने बताया कि होली के दिन शराब की दुकान बन्द थी । एक पुलिस अफसर ने वहां आकर शराब की दुकान खुलवा दी और शराब पी ली । उसके बाद दुकान खुल गई और दूसरे गरीब लोगों ने भी शराब पी ली । पीने के बाद पुलिस अधिकारी ने गाली दे दी शराब के नशे में उसको भी लोगों ने गाली दी । उस पुलिस अफसर ने उसको मारा और उसके घर में आग लगा दी । मैं बताना चाहता हूं कि कि किस तरह से पुलिस का जुल्म चलता है ।

मैं जब 1977 में जीता था तो अपनी कांस्टीटुएन्सी में घूम रहा था । मछुआ में शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी श्री बालचन्द को पुलिस ने मार-मारकर बेहोश कर दिया था । मुझे लोगों ने यह बात बताई कि पुलिस ने इसको मारा है । मैं उसको उठा लाया और पुलिस हेडक्वार्टर में फोन किया । पता लगा कि एस० पी० सिनेमा गया है, डी० एम० गायब है तब मैंने एस० डी० ओ० को बुलाया । मैंने सिविल सर्जन को बुलाकर मैडिकल करवाया और केस दर्ज करवाया और एस० पी० से कहा कि पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करो, नहीं तो हंगामा होगा । उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया ।

[श्री राम विलास पासवान]

दूसरे दिन एस० पी० ने उससे पूछा कि तुमने उसको क्यों मारा था ? उस पुलिस अफसर ने एस० पी० को बताया कि यह शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी शराब पीकर लोगों को रोड पर गाली दे रहा था, इसलिए मैंने इसको पीटा। उसके बाद एस० पी० ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, एम० पी० साहब ने रिपोर्ट दर्ज कारवाई है, उनसे बात करो। उसके बाद वह पुलिस वाला कुछ लोगों को लेकर मेरे पास आया और लोगों ने कहा कि इसको बचाओ।

मैंने उससे कहा कि क्या घटना घटी थी, साफ-साफ बताओ। उस अफसर ने अपने एस० पी० के सामने कहा था कि यह आदमी पीकर लोगों को गाली दे रहा था, इसलिये मारा, लेकिन मेरे साफ-साफ पूछने पर उसने कहा कि वह खुद पिये हुए था, होश में नहीं था इसलिए उसे मारा। देखिये उसके दोनों ब्यानों में कितना अन्तर है ? एक्ट अलग है और फैक्ट अलग है।

प्रो० सत्यदेव सिंह : उसके बाद उसका क्या किया आपने ?

श्री राम विलास पासवान : उसके बाद वह डिस्चार्ज हुआ, आपकी सरकार रहती तो उसे कुछ न कुछ प्रमोशन मिल जाती।

मैं पश्चिमी बंगाल के भी कुछ आंकड़े बता रहा हूं जो कि सरकारी आंकड़े हैं। वहां 1980 में 9 हत्याएं हुई, 1981 में 4, 1982 में 4 और 1983 में 3 घटनाएं घटी हैं।

एक सवाल पूछा गया था कि जितनी घटनाएं घटी हैं, उनमें से कितनों को सजा हुई है ? उसके जवाब में गृह-मंत्री जी ने जो बताया वह यह है कि बेलछी में जो घटना घटी उसमें लोगों को सजा हुई, पिपरा, केला, विश्रामपुर और जैतालपुर में जो घटनाएं घटीं उसमें भी लोगों को सजा मिली है। लेकिन यह सदन जानने के लिये चिन्तित है कि सबसे भयंकर घटना देहुली में घटी थी जिसमें 24, 25 शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को दिनदहाड़े गोली से उड़ा दिया गया और उसमें किसी मां के पेट में बच्चा था, उसको भी नहीं बख्शा गया। वहां खून सूखने भी नहीं पाई थी, उसी के बगल में साढूपुर में घटना घटी वहां दर्जनों लोग मारे गये उसी मैनपुरी जिले के रामपुरा में घटना घटी, वहां लोग मरे, मैं जानना चाहूंगा कि इन तीनों मे क्या हुआ ?

क्या कोई अभियुक्त पकड़ा गया है ? क्या किसी को सजा हुई है ? कफाल्टा में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों का क्या कसूर था ? एक व्यक्ति शादी करने के लिए रास्ते पर जा रहा था। उसको यह कह कर रोका गया कि आजादी के 36 साल बाद भी तुम मैन रोड पर नहीं चल सकते। जब वह नहीं रुका, तो उसको गोली से उड़ा दिया गया और 18 लोगों को मार दिया गया। पुलिस ने एक भी आदमी के खिलाफ एविडेंस पेश नहीं किया और वे सब बरी हो गए।

विदेशों में हम काले और गोरे की लड़ाई लड़ते हैं, मानवता का उपदेश देते हैं और ह्यूमैन राइट्स की बात करते हैं। मगर आजादी मिलने के 36 साल बाद भी दिल्ली के नजदीक ही दर्जनों जगहों पर सैकड़ों लोगों की हत्या होती है और एक आदमी को भी सजा नहीं होती है। इस हालत में लोगों का कानून पर कैसे विश्वास होगा ? सिंहभूम में गुआ में 16 आदिवासियों की हत्या कर दी गई। क्या किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही

की गई ? स्थिति यह है कि किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। गांवों के लोग हमसे कहते हैं कि एम० पी० साहब, अगर गृह मंत्री, श्री सेठी, हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तो वह कम से कम शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को एक किनारे पर एक साथ बसा दें। लेकिन अगर स्थित में कोई सुधार न हुआ, तो कल वे कहेंगे कि हमें जिले के एक किनारे पर बसा दिया जाए। अगर फिर भी मामला बढ़ता गया, तो वे मांग करेंगे कि हमारा अलग प्रान्त बना दिया जाए। उसके बाद फिर वे यह भी मांग कर सकते हैं कि हमारा एक अलग देश बना दिया जाए। सरकार ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ने देती है ? आजादी से पहले देश में जो भी घटनाएं घटी हों, लोगों की कमर में घड़ा या झाड़ू बांधा गया हो, लेकिन आजादी के बाद की पीढ़ी उन वारदातों को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि हम उन्हें रोटी देते हैं। रोटी तो जानवर को भी मिलती है। हम महज रोटी से संतुष्ट नहीं हो सकते। अपनी रोटी जेब में रखिए हमें इज्जत दीजिए। अगर सरकार इज्जत नहीं दे सकती, तो देश का अछूत और गरीब अब ज्यादा दिन तक इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार उन लोगों को नक्सलाइट या क्रिमिनल कह कर या कोई भी संज्ञा देकर मारे लेकिन अब पानी सिर से ऊपर आ गया है, अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

एक भिंडरांवाले ने सरकार की नाक में पानी डाला हुआ है। अगर इन समुदायों में भी कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो जाए, जो नये नवयुवकों को ललकारे कि वे इस देश में दो नम्बर के नागरिक कब तक बने रहेंगे और अपनी मां-बहनों के साथ बलात्कार होने को कब तक सहन करेंगे, तो गृह मंत्री मंत्री के पास उसका क्या जवाब होगा। आज हम विद्यार्थियों को रूस की क्रांति और माओ-त्से-तुंग की कहानी पढ़ाते हैं। उनसे प्रेरणा लेकर आज के नौजवान समाज में सम्मान की जिन्दगी जीना चाहते हैं। मगर यदि पूंजीपति उनका उत्पीड़न करता है, उन्हें मारता है, तो पुलिस और प्रशासन उसी का साथ देते हैं।

मंत्री महोदय जवाब देते हुए बताएं कि कितनी जगहों में ये घटनाएं घटीं और कितने लोगों को सजा दी गई। जिन जगहों पर शिड्यूल्ड कास्ट्स वर्सस बैकवर्ड कम्युनिटी का झगड़ा था, वहां अभियुक्तों को सजा हो गई है, और वह अच्छा हुआ है, लेकिन जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स वर्सस अपर कास्ट का झगड़ा हुआ है, ऐसी एक भी जगह सजा क्यों नहीं हुई है ? बेलछी, पिपरा और केला आदि सब जगह यही स्थिति है।

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा था कि शैड्यूल्ड कास्ट के लिए थाना है। मैं अभी बिहार गया था, वहां पर सासाराम में लोगों ने बतलाया कि हरिजन थाने में कोई ऐसा इंचार्ज आकर बैठ गया है जो दूर से ही आने वाले को डंडा दिखाता है। इसलिए कम से कम आप ऐसे लोगों को वहां पर इंचार्ज बनाइये जो, अगर वहां पर कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाता है, तो उसकी रिपोर्ट वह दर्ज करे।

मैंने कहा था कि जहां पर इस प्रकार की घटनायें बार-बार होती हों, वहां पर गरीब आदमियों को आप हथियार देने की बात पर विचार करें। इस पर प्रधान मन्त्री ने कहा था कि आप आइये मैं डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं कि हथियार देकर किस प्रकार इस समस्या का निदान हो सकता है।

[श्री राम विलास पासवान]

MR. DEPUTY SPEAKER : You have already taken twenty five minutes. How much more time do you intend to take ?

At the end, the other Members do not get that much time. They cannot speak so much. At least they must get fifteen minutes each.

We have to sit till 10 O'clock. We have to restrict the time. How much more time do you want ?

SHRI RAM VILAS PASWAN : I will take fifteen to twenty minutes.

MR. DEPUTY SPEAKER : Please complete in another ten minutes.

श्री राम विलास पासवान : प्रधान मन्त्री ने जो कहा था उस बात में भी दम है। हमारे साथी भी कह रहे हैं कि समस्या का समाधान कैसे होगा ? लेकिन मैं समझता हूं आप एक काम जरूर कर सकते हैं। जहां पर इस तरह की घटनाएं हों वहां पर भूमि सेना, जैसे कि बिहार में है, या इस तरह की जो भी सेना हो उसका हथियार जब्त कीजिये।

उस संगठन को आप डिसमोन कीजिए और जो भी लोग इस तरह की सेना की सदस्यता ग्रहण करेंगे उनको वीकर सेक्शन्स का दुश्मन माना जायेगा और उनसे आप हथियार छीनने का काम भी करें। आप इमीडिएट आर्डर देकर उनके हथियार जब्त कीजिए और फिर दोबारा उनको लाइसेन्स मत दीजिए। (व्यवधान) अनलाइसेंस्ड हथियारों का इलाज दूसरा है लेकिन कम से कम लाइसेन्सी गनों से वीकर सेक्शन के लोगों को मारने का काम बन्द होना चाहिए।

दूसरा एक और भी काम है जिसको आप कर सकते हैं। हमने अपने समय में उसको किया था। जिस जिले में भी इस तरह की घटनाएं घटें सबसे पहले आप वहां के एस० पी० और डी० एम० को मोअत्तल कीजिए। आप सीधे उनके ऊपर रेस्पांसिबिलिटी फिक्स कीजिए। आज पटना जिले का डी० एम० अपने को मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल समझता है। (व्यवधान)

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : उस इलाके के जो एम० पी० और एम० एल० ए० होते हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, उनके खिलाफ क्या किया जायेगा ?

श्री राम विलास पासवान : अगर एम०पी० और एम० एल० ए० स्वयं उसमें इन्वाल्व हों तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी—वह भी तय हो जाए। लेकिन मैं यह कह रहा था कि आप एस० पी० और डी० एम० को मोअत्तल कीजिए। पिछले चार साल में इन दोनों सदनों के जो एमपीज ह्यूमिलिएट हुए हैं वह कौन हैं ? वह एम० पी० हैं परमार जी, राम स्वरूप राम जी, कुंवर राम जी, जटिया जी, कल्पनाथ सोनकर यह सारे वीकर सेक्शन के लोग हैं। ये एम० पी० बन गए लेकिन समाज में इनकी इज्जत नहीं है। आज भी यू० पी० और बिहार के मोस्ट्ली 90 परसेंट गांवों में लोग एक दूसरे का छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं। यह हमारे सामने की बात हैं। यह है सोशल कस्टम।

कभी-कभी लोग हिन्दू संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, यदि यहीं हिन्दू सभ्यता है, तो हम उसको सौ बार प्रणाम करते हैं कि जिसने आदमी-आदमी को इतना दूर रख दिया है, आज भी गंगा जल से इस देश को धोया जाता है आज भी गुलाल लगाने के नाम पर पुजारी द्वारा लोगों की हत्यायें की जाती हैं। इसलिए गृह मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कम से कम आप रेसपांसिबिलिटी फिक्स कीजिए।

संसद सदस्यों की भी अपनी डिगनिटी होती है, उसके पास कोई फोर्स तो है नहीं, यदि वह समाज में काम करने के लिए जाएगा, तो उसकी सुरक्षा नहीं होती है। इस बारे में मेरे पास अखबारों की पूरी की पूरी कतरनें हैं। राम स्वरूप राम जी बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर से उनको मिलने नहीं दिया गया। लोगों के सामने उनको बेइज्जत किया गया और बाद में फिर मुकद्दमा दर्ज कर दिया गया। एक नहीं दो नहीं, तीन-तीन सांसदों और विधायकों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर दिया गया।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री राम विलास पासवान : इसी लिये कि वे बेचारे प्रधान मंत्री जी के पास जा रहे थे। वहां के डी० एम० ने उनको धकेल दिया, वहां जाने नहीं दिया। धकेलने के बाद वे तैश में आ गए, क्योंकि सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होता है, इसलिए कह दिया कि इन के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज करो।

श्री सूरज भान : (अम्बाला) फर्दर डिटेल चाहिए, तो राम स्वरूप राम से पूछ लीजिए।

श्री राम विलास पासवान : आप राम स्वरूप जी से पूछ लीजिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं कि मेरे केस की उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जब मैं पटना में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स सम्मेलन कर रहा था, तो वहां पर मुझे टेंट गाड़ने नहीं दिया कुछ भी करने नहीं दिया गया। इस मामले को वहां मैंने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वहां 9-10 तारीख को राजीव जी का प्रोग्राम था। उस सम्मेलन में लाखों की संख्या में लोग आए थे, दक्षिण से भी लोग आए थे। पांच सौ रुपया मैंने पहले ही जमा करा दिया था, श्री कृष्ण मैमोरियल हाल के लिए। वह उस दिन बन्द था। लेकिन जवाब आता है कि श्री कृष्ण मैमोरियल हाल का ताला तोड़ कर मीटिंग की थी।

माननीय गृह मंत्री जी मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। यदि यह बात सिद्ध हो जाए कि वहां जाकर एक भी आदमी ने मीटिंग की है, तो जो आप सजा देंगे वह मैं मानने को तैयार हूं। संसद सदस्यता से इस्तीफा देने की बात तो बहुत छोटी है। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग इतने आसमान पर चढ़ जायें, कि मारे वह मुकद्दमा चले रामस्वरूप राम पर, गलती करे वह एलीगेशन लगाए हमारे ऊपर—तो गृह मंत्री जी आपको इसकी रक्षा करनी होगी। इस बारे में मैंने आपको पत्र लिख कर दिया है। लेकिन जवाब तीन तरह का मिलता है। एक जगह की पैसा जमा नहीं किया गया, दूसरी जगह लिखा है कि कार्यालय बन्द था, और तीसरी जगह पर लिखा है कि ताला तोड़ कर गए। ये तीनों बातें आप ही के जवाब में हैं। आप इस को पढ़ लें तो सारी स्थिति आपको मालूम हो जाएगी।

मैं 22.3.1984 को दूरदर्शन समाचार देख रहा था। आपका दूरदर्शन समाचार कहता है पिछले 17 वर्षों में केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पर्याप्त वृद्धि क्या हुई है, इसका जवाब मेरे पास है। यह बात गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की 1983-84 की रिपोर्ट में बताई गई है। जनवरी 1982 के केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लगभग 5 लाख 21 हजार कर्मचारी थे, जो कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या का 16.67 प्रतिशत है। संविधान

[श्री राम विलास पासवान]

में यह कहा गया है कि कुल सरकारी कर्मचारियों में से 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के होने चाहिए।

"अनुसूचित रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अनेक ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, कर्मचारियों के कल्याण की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया गया, और सरकारी काम में हिन्दी का अधिक उपयोग किया गया।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कहां किस संविधान में लिखा हुआ है यह 15 प्रतिशत होना चाहिए।

यह आपका जबाब है। 7-3-1984 को एक अतारांकित प्रश्न संख्या 1650 के जवाब में आप कहते हैं 1-1-1982 के अनुसार ग्रुप ए समूह में शैड्यूल्ड कास्ट्स 5 परसेन्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स 1.66 परसेन्ट हैं, इसका मतलब है कि 20 परसैन्ट अभी भी कम हैं। ग्रुप बी में साढ़े 22 परसैन्ट रिजर्वेशन होना चाहिए, वहां भी 10.46 परसेन्ट है। तृतीय श्रेणी में भी साढ़े बाईस परसैन्ट होना चाहिए लेकिन उस में भी 16.86 परसैन्ट है। चतुर्थ श्रेणी में जो झाड़ू देने वाले, पाखाना साफ करने वाले हैं, उन में पूरा है। लेकिन उनके बारे में भी बतला दूं--एक नई टैकनीक मेरे सामने आई है--बरौनी के सम्बन्ध में मैंने क्वेश्चन किया था, मालूम हुआ कि वहां दूसरों के लिए भी रिजर्वेशन है—हम ने कहा, ठीक है, देखेंगे, दूसरे लोग भी पाखाना साफ करने का काम करेंगे, लेकिन मालूम हुआ कि उनकी बहाली स्वीपर की पोस्ट पर होगी, लेकिन उन से काम लिया जाएगा पीउन का। शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों से, चाहे उन में कुछ भी योग्यता हो, उनकी बहाली झाड़ू देने वाले के रूप में, पाखाना साफ करने वाले के रूप में करेंगे, लेकिन इनकी बहाली अगर झाड़ू देने वाले के रूप में होती है तो काम दूसरा लेंगे।

आप मसौरी की घटना को लीजिए—भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री जगन्नाथ मिश्र दौरे कर के आये और उन्होंने कहा—

"Dr. Jaganath Mishra, former Chief Minister, said here today that it was wrong to say that 8 agricultural labourers had been killed by landowners in the Masaurhi block of Patna district because of Naxalite activity in the area.

"As a matter of fact, none of the labourers had anything to do with extremists", he said."

वह कहते हैं कि एक्स्ट्रीमिस्ट्स कहीं नहीं हैं दूसरी तरफ आपका पुलिस प्रशासन कहता है—पूरे का पूरा एरिया एक्सट्रिमिस्ट हो गया है, नक्सलाइट हो गया है। इस लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा—आप रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स कीजिए। आज स्थिति यह हो गई है कि आप भूमि विवाद को सुलझा नहीं सकते हैं, आप ने कह दिया है कि यह कोर्ट का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप की रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख एकड़ जमीन निकलनी चाहिए थी, लेकिन 23 लाख निकली है और आपने केवल 17 लाख डिस्ट्रीब्यूट की है जबकि सिर्फ 5 लाख एकड़ जमीन हरिजनों को मिली है। 40 में से 22 लाख निकली, बाकी जमीन भूमिपतियों के पास है। इतना ही नहीं, 22 लाख एकड़ में से 5 लाख एकड़ दी गई तो बाकी जमीन कहां है? आप लेंड रिफार्म नहीं कर सकते हैं, आप मिनिमम वेज का नारा देते हैं। आप के 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम में कहीं भी एक प्वाइन्ट ऐसा नहीं है कि जहां हरिजनों की एट्रोसिटीज का उल्लेख हो।

इसलिए अब आप एक काम कीजिए- प्रत्येक ब्लाक के स्तर पर हम को अलग बसाने का प्रयत्न कीजिए। आजादी के 36 वर्षों के बाद भी यह सरकार हमारी रक्षा करने में विफल रही है, अब हमको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। जो कोई भी हत्या करे, गांव में

ताकत हो तो सजा दिलवाइये, उसकी सम्पत्ति को जब्त कराइये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं—पिपरा काण्ड से प्रभावित कितने लोगों को आप ने सर्विस दी है। उस काण्ड के एक लड़के के लिए, जिस के परिवार के सब लोग मर गये थे, लिखते-लिखते मैं थक गया हूं। एक बात मैं कह सकता हूं-हम जब भी किसी मामले को लेकर गृह मंत्री जी के पास जाते हैं, तुरन्त उसके लिए लिखते हैं, लेकिन जिस को करना है वह उनकी बात को कितना मानता है? मैं पूछता हूं—जहां घटनायें हुई हैं वहां कितने लोगों को नौकरी दी गई? बेलछी, पिपरा, साढ़पुर, रामपुर, देवली में घटनायें घटी—ये घटनायें वहीं घटती हैं जहां रोड लिंक नहीं है।

इसलिए मैं आप से यह कहना चाहूंगा कि आप वहां रोड की व्यवस्था करवाइए। आप गांवों के लोगों की एक लिस्ट रखिये पुअरेस्ट अमंग दि पुअर की ओर जो गरीब लोग हैं, उनकी कोआपरेटिव सोसाइटी बनाइए और जो भी आपका योजना का पैसा जाता है, वह उसके द्वारा खर्च हो। मैं आपको एक बात यह कहूंगा कि आप एक नया कार्यक्रम चलाइए और आर्थिक क्रान्ति के साथ सामाजिक क्रांति को आप जोड़िये। आपको जोर देना होगा सामाजिक क्रांति पर। यह जो रूढ़िवाद है, जिसके कारण हजारों साल से देश पिछड़ा हुआ है और हजारों साल से ऊंच-नीच की बात चली हुई है, इसको आप खत्म कीजिये और सामाजिक क्रान्ति लाकर इसको खत्म कीजिए।

आप शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट को देखिये। उसमें भूमिहीनों के बारे में यह लिखा हुआ है कि एक हजार भूमिहीनों में जहां 1961 में शैड्यूल्ड कास्ट्स के भूमिहीन 345 थे, वे 1981 में बढ़ कर 518 हो गये और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के जहां 1961 में 197 थे, वे 1981 में बढ़कर 320 हो गये। जहां हरिजन किसान 1961 में 378 थे, वे 1981 में घट कर 279 हो गये और जहां शैड्यूल्ड ट्राइब्स किसान 1961 में 681 थे, वे 1981 में घट कर 573 रह गये। इसलिए मैं आप से आग्रह करूंगा कि यह एक बहुत सेंसैटिव मामला है और लोग निराश हो चले हैं। आज लोग निराश हो गए हैं प्रशासन से, आज लोग निराश हो गये हैं शासन से और आज लोग निराश हो गये हैं सरकार से। इसलिए आप इन निराश लोगों के लिए कुछ कीजिए और यदि आप ने कुछ नहीं किया तो यह जो ज्वालामुखी भभक रहा है, यह एक दिन फटने वाले हैं। देश के करोड़ों अछूत, देश के करोड़ों गरीब और वीकर सेक्शन्स के लोग अपने अधिकार के लिए आगे आएंगे और फिर आपकी पुलिस, आपका प्रशासन बन्दूकों और राइफलों के बल पर उनको दबाकर नहीं रख सकता। वे अपना अधिकार लेकर ही रहेंगे। मैं आप से आग्रह करता हूं कि आप यह न कहें कि यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी नहीं है और यह तो राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। मेरा कहना यह है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी है और कांस्टीट्यूशन के मुताबिक आप को इस रेस्पोंसीबिलिटी को अपने ऊपर लेना होगा। आप राज्य सरकारों के ऊपर इसको नहीं छोड़ सकते हैं। राज्य सरकारों को तो हम ने देख लिया है। अगर आप अपने ऊपर यह रेस्पोंसीबिलिटी नहीं लेते हैं, तो आप जानते ही हैं कि पेट में आग लगी होती है, तो फिर उसे देश और धर्म का पता नहीं होता है और आज तो वे कहते हैं कि हमें गांवों के किनारे बसाओ, कल को कहेंगे कि देश के किनारे बसाओ, फिर क्या हश्र होगा। इसलिए आप को यह जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी चाहिए।

[श्री राम विलास पासवान]

इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव मूव करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं कि आज आपने कोई ठोका-टाकी नहीं की ।

SHRI A. R. MALLU (Nagarkurnool) : Mr. Deputy Spaeker, Let me convey my thanks to the Hon. Speaker and to the Minister of Parliamentary Affairs for allowing a separate discussion on this particular problem which we are now discussing.

My friend on the other side Mr. Ram Vilas Paswan has mentioned several problems. I thought that he will seriously take up this problem in this august House and discuss the matters in detail without attributing political motives. But unfortunately Mr. Ram Vilas Paswan mentioned that the atrocities are more in ruling party and less in opposition.

SHRI RAM VILAS PASWAN : I have not gone to that extent. I want to keep it above party politics.

SHRI A. R. MALLU : I am not going into it in detail. It is quite unfortunate, what I mean to say. No doubt it is an occasion when the true colours of the political parties will come out here also.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : He has already given the facts.

SHRI RAM VILAS PASWAN : I have given facts as given by the Home Minister. It is not my reply. I have only said whatever the Home Minister has said.

SHRI A. R. MALLU : I did not just interrupt when he participated in the discussion.

Coming to the atrocities, I am not that much worried about this problem. Atrocities are bound to come in developing States. This is a matter of awakening among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

I tell you. I am coming to the point why I am telling this. I will tell you.

SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR (Trivandrum) A New theory is being put up !

SHRI A. R. MALLU : I will answer the hon. Members because they are raising it...

Mr, DEPUTY-SPEAKER : You continue as you like. You can express your own view.

SHRI A. R. MALLU : There have been atrocities committed in my own State, that is, Andhra Pradesh. Some time back I had given notice to discuss this particular problem in this august House also. Immediately after the Assembly elections, rather on the day of the elections itself, a Harijan Village was burnt by the Telugu Desam people...

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : No politics. Keep it above party politics.

(Interruptions)

SHRI A. R. MALLU : Since he had mentioned, I would also mention. This is a fact. 86 houses were burnt and four persons were burnt alive. He was appreciating their role, the role of the Opposition. I will tell him what has happened. The Social Walfare Minister of that particular State, even till today, has not visited that village whereas our beloved Prime Minister asked the Minister of State for Home Affairs, Shri Venkatasubbaiah...

SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR : She visited Belchi when she was in the Opposition.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : Even now wherever such a thing happens; she goes.

SHRI A. R. MALLU : The hon. Minister, Shri Venkatasubbaiah was kind enough to make a visit to that particular village. What the official machinery did, I would like to bring to the notice of this August House. The Superintendent of Police of that particular district, Chittoor, had reported to the Chief Minister on the 5th that this unhappy incident took place because of the Telugu Desam people But immediately after the results came, he changed his version and gave some other report. What we thought was, since the Opposition had come to power and he had made a number of promises to the people saying that he was committed to work for the welfare of the weaker sections, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, they would deliver the goods to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We expected them to do something, but unfortunately nothing has happened. Our Prime Minister was very pleased to sanction Rs. 2,000 to each family from the Prime Minister's Relief Fund. The hon. Minister, Shri Venkatasubbaiah, handed over the cheque to the Chief Secretary to the Government of Andhra Pradesh with a request to disburse the amount to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, to make use of the benefit of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of that particular village. But it is quite unfortunate, I want to bring this to the notice of the House, the State Government failed miserably and did not distribute that amount for more than ten months to those people in that village, Padrikuppam. When I raised it through a statement in the press, the State Government issued directions to the District Collector to disburse the amount to the Scheduled Castes and Tribes. But even till today that amount has not been disbursed among the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. This is what is happenings there. That is the reason why I am making this appeal in this August House: let us not make allegations against each other; this is a national problem to be discussed seriously keeping it above party politics. One should feel ashamed if atrocities are committed in the country. The House should discuss as to what are the reasons for those atrocities, why such atrocities are being committed even after 35 years of independence, and what is the role played by the political parties in the country. It is not only the responsibility of Congress-I; it is the collective responsibility of all the political parties in this country to protect the interests of the downtrodden, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We are not here to make allegations against each other. Whenever a problem of Scheduled Castes comes up in the House, whenever an opportunity comes, the Opposition want to attribute it to Congress-I and its leadership. Is there any fault on the part of the Congress-I ? When our leader, Shrimati Indira Gandhi, was not in power, she visited Belchi (*Interruptions*) She visited Deoli after coming to power. But your beloved leader, Shri Charan Singh, being the then Home Minister, never paid a visit to Belchi...

SHRI RAM VILAS PASWAN : Where is the Belchi elephant ?

SHRI A. R. MALLU : Mr. Paswan mentioned about Deoli. Though it happened in a Congress-I ruled State, the Prime Minister personally visited that place. Mr. Nadar, you go and see what happened there. Then you will understand. I had been there,...

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : He has gone there. We went to Deoli.

SHRI A. R. MALLU : So I only appeal to the Opposition Leaders to ponder over this problem in a very serious manner and come to conclusions. Let us make a unanimous resolve in this House as to how best we can

[Shri A. R. Mallu]

protect the interest of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and how best we can prevent the atrocities in this country.

I am really thankful to the hon. Home Minister who has been too kind to address the State Governments to protect the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I was told the Home Minister in the month of March 1980 addressed a DO letter to all the Chief Ministers in the country but, unfortunately, only 19 States have so far come forward to constitute special cells in their respective States. I do not think there is any problem for this particular aspect. I once again request the Home Minister to convene a Home Ministers' Conference and discuss this problem and put an end permanently to this particular aspect.

He was also kind enough to issue suitable instructions to the States Governments to pick up scheduled Castes and Scheduled Tribes officers and keep them in key positions particularly in troublesome areas. I am highly thankful for his kind directive. In Andhra Pradesh—I would like to bring to your kind notice when Congress (I) was in power, there used to be 6 to 7 Collectors from Scheduled Castes and Scheduled Tribes and there used to be 4 to 5 Superintendents of Police but the moment, the Telugu Desam Government came to power, the very next day they transferred all the Scheduled Castes and Scheduled Tribes I.A.S. and I.P.S. officers from the districts. ... (*Interruptions*) Of course, this is not Bengal. Sir, all this is happening and I request the hon. Home Minister to kindly direct the State Governments to adhere to the instructions of the Central Government and implement them in the true spirit.

Some time ago instructions were also issued to the State Governments to constitute Special Courts to deal with this problem. I am proud to say that when Congress (I) was in power in Andhra Pradesh, we have constituted 5 Special Mobile Courts to deal with these atrocities and I am happy that Madhya Pradesh, Rajasthan and Bihar also have come forward now to constitute and they are functioning, I am told. I would like to appeal to the Home Minister—why not he issue suitable instructions to all the State Governments to constitute Mobile Courts to deal with these arrocities all over the country and not confine it to 4 or 5 States only? I do not think it is a problem for the Government of India to direct in this regard.

Regarding Civil Rights Act this House should discuss about the Civil Rights Act once again. What are the loopholes in this Act and how many persons who are involved in these atrocities very cleverly escape from the clutches of the Act—all this should be thoroughly discussed. Mr. Paswan was mentioning about this. I am happy that this is a constructive manner of doing things. I suggest and request the hon. Home Minister to appoint a Joint Select Committee to go into the Civil Rights Act and provide for more and more powers to punish the culprits who are involved in these atrocities.

Sir, we have enacted the Untouchability Act. But, how many cases have come up and how many have been proved? There is some lacuna in the Act. Hence the number of cases could not be proved upto the expectation. A number of persons could escape punishment under this particular Act. As such, I request the hon. Minister to look into this aspect also and to appoint a Joint Committee to go into the merits about the Civil Rights Act and the Untouchability Act.

Coming to legal aid, the Government of India, many a time, has instructed the State Governments to provide legal aid. But, unfortunately, in some cases, legal aid was provided but in some other cases, that was not provided. Even if it is provided, a proper advocate is not given to them. Only some juniors are

allotted to them who will not take care of this particular case and ultimately, the S. C. people lose their case. So, some pucca arrangements are required to be made in these particular cases, that is, for the persons belonging to the S. C. and S. T.

Coming to the other problems, the other day when we were discussing in this House, my friend Shri Paswan mentioned about the licensed guns. I request the hon. Minister to withdraw the guns from the licensed holders in this country. Or else the S. T. people should have the licensed guns At the same time, I suggest to the Government to institute training for the S. C. and S. T. and they may provide them licensed guns free of cost.

There is a provision for the protection of industries in the country. There is an Industrial Security Force for that purpose. Why not the Government of India consider giving the necessary security forces to the States all over the country since the local police are not coming to the rescue of the S. C. and S. T. ? There are several instances where the S. C. people could not afford to approach the local D. S. P. Why cannot the Ministry examine the question of appointing the officers specially to look into the grievances of the S. C. who are the victims of atrocities ? This has also to be considered by the Government.

Coming to the other problem, we are considering to give assistance to the members of the deceased family. We are also considering to give this for those serving in Government abroad. We are also considering other facilities to the Government employees. For the persons suffering from the atrocities that take place in particular States, why not Government of India come forward to provide employment opportunities to the members of the deceased family ? They should also be given some compensation. This is a problem to be considered on humanitarian ground. Madam Prime Minister from the P.M.'s Relief Fund has given assistance whenever this sort of atrocities cases are brought to her notice. These are to be considered more by the Government itself. The Constitution gives certain protection to the S. C. and S. T. And Government of India should take up the responsibility of giving compensation and providing employment opportunities to the members of the deceased family.

Besides this, I would like to bring to the notice of the hon. Minister that the atrocities have now become a common thing in every area. You know the persons involved in these atrocities that took place in Belchi, Deoli or Padrikuppam or whatever it may be. I would request—the other day also we made a similar demand in this House—to appoint a Committee. I am particularly referring here to the State of Andhra Pradesh. There is a provision in the Constitution.

There is a provision in the Constitution—Articles 36 to 51—and I quote :

> "The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of national life."

Then I quote Article 46 :

> "The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and, in particular, of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

Sir, the root cause of atrocities on Harijans is lack of education and economic backwardness, As such, I request the Government of India to consider these facts and to the needful. I would not like to take much time of the House and also thank the Deputy Speaker for giving me this time.

17.06 hrs.

(Dr. RAJENDRA KUMARI BAJPAI *in the Chair*)

*SHRI AJIT KUMAR SAHA (Vishnupur) : Madam Chairman with your permission I wish to speak in Bengali. Madam, the subject of atrocities on Harijans has been discussed in this House many times. The Government also in reply to those discussions have enumerated many times the steps they are going to take to stop such atrocities. But our experience is that far from stopping, these atrocities are increasing day by day. We read about many such incidents in the newspapers but there are also many incidents which are not published in the papers and we do not come to know about them. Now the question is why are these incidents taking place ? We are in the 37th year of our independence, even now we are confronted with such incidents. In a free country why such incidents are taking place, the time has come, rather the time is past to ponder over it. If we neglect this question of atrocities on the Harijans and other weaker sections any longer, then a time will soon come whent as stated by Shri Ram Vilas Paswan, these people will turn round and fight for heir own protection unitedly. I also hope that one day they will stand up and wage a united struggle against these atrocities and the injustice meted out to them The Government have mentioned about various steps, but what is the root cause of all such atrocities on the harijans, the SC/ST people, the Adivasis etc. We have to go to the root of this curse and find out the cause. The Government has said many things about the 20 point programme, the tribal sub-plan etc. They have made allocation in the budget also for the tribal sub plan with a view to effect upliftment of the poor tribal people. But we do not know anything about the fate of such plans whether the benefit of such schemes and plans is reaching the people for whom they are meant or not. In the tribal sub plans many things have been said about the steps being taken for the betternment of the tribals. But the State Governments have been given the responsibility of implementing and executing these plans through their tribal welfare departments. Now the condition of these tribal welfare department of the States is very pitable. There is only one tribal welfare officer in that Department. It is just not possible for that single officer to execute all the plans for tribal welfare for which funds are being made available. For want of proper personnel to man those departments, the funds are not being properly utilised for the benefit of the tribals. People can derive little satisfaction from the facts that so much funds have been allocated for their welfare. They hear that we MPs or MLAs are making speeches in the legislatures about the funds allocated for their welfare in the tribal subplan but in reality the actual benefit from these allocations is hardly reaching them, as the implementation is very poor. Mr. Ram Vilas Paswan has quoted extensively the figures about atrocities on harijans and other weaker sections, so I will not go into that again. I will only refer to such other instances of atrocities on these poor people apart from killings and rape, which generally do not come to the notice of the Government. I am talking about my own district viz., Bankura, which is a backward district. Madam in South Bankura there is a place called Chenda pathar. The entire area is inhabited by the Adivasis, tribals and the Santhals. There is a mine in this area called the Ulform mine from which a very valuable metal viz. Tungsten is extracted. This mine is owned by private owners. The labourers and workers in this mine who extract this valuable metal for the private owners are mainly the Adivasis and the Tribals. The owners are earning fabulous profits but do you know how much they are paying the workers ? About four years back the workers

---

* Original speech was delivered in Bengali.

were being paid only Rs. 1.50 and the female workers 0.75 paise per day. When the workers came to know through the radio and other sources that the wages of workers in other fields were being increased they also approached the owners for a rise in their wages. But the owners turned down their demands. The simple workers could not do anything. At that time, we who are trade unionists went there and organised the workers. A struggle for the fulfilment of their legitimate demands was started. Thereafter the workers did get some raise in their wages. But the owners played a trick with these poor Adivasis. They were promised better wages but after getting work from them for about a year during which Tungsten worth about Rs. 4 lakhs were mined by these workers, the owners have closed down the mine since July 1982. About 400 or 500 poor workers are jobless and they did not get their dues even. This is another form of atrocity that is being perpetrated on the poor and weaker sections.

We have told the Central Government that you are talking many things about the Adivasis in your 20 point programme and elsewhere also. Now you should take over this mine where Adivasis and tribals were working exclusively. We have talked with the Labour Minister, we have given a memorandum to the hon. Prime Minister also for taking over this mine. But nothing has been done in that respect. The adivasis and the weaker sections are victims of this form of repression. These poor people were given an assurance by the Government that radical land reforms will be effected. But nothing has been done in this respect. Moreover, the little land that was in the hands of these weaker sections that too has been taken away from them forcibly. Now when these poor people and Adivasis are organising themselves today and raising a united struggle, many other atrocities are being committed against them, extensively as we have seen in Bihar. Land is being allocated to these poor people but When they go to take possession of the land, the big landlords attack them through the 'Bhoomi Sena', they are being driven away and even killed in the process. The Government indulges in tall talks about land reforms. But land reforms have not been carried out in the manner and to the extent that was necessary.

Furthermore, these Adivasis and weaker sections are economically, socially and educationally backward. Government has not provided any facility to them for receiving education in their mother tongue. Only in West Bengal the left front State Government has done something in this regard. The 'Alchiki' language of the Adivasis has heen given recognition by the West Bengal Government. Text books in 'Alchiki' language has been made available in the primary schools so that the Adivasis and Santhals may get education in their own mother tongue. Efforts are being made to educate them and to give them democratic consciousness. Wherever these people have become democratically conscious, the atrocities on them have stopped. In West Bengal we do not hear about cases of atrocities on Harijans. But in other States the incidents of atrocities are quite frequent. Some days back in this House itself, hon. Shri Parmar who is a member of the Congress (I) tried to raise the issue of burning down his own house. He tried again and again but he was not alllowed to raise it. He was denied his right to do so. Again we saw that some time back lhe Governor of Madhya Pradesh spoke something aganist the Harijans. Now if the Head of a State speaks like this against the Harijans then who will uphold and protect their rights ? The person who has been given the responsibility of protecting their rights himself speaks against them. This is very unfortunate. To find a solution to this problem of atrocities, we will have to expedite the process of land reforms. This is the root problem. Facilities must be provided to them to get education in their mother tongue, so that they may be able to organise themselves and wage a united fight against the oppressors. I have full faith that given

[Shri Ajit Kumar Saha]

these facilities, they will be able to organise themselves and raise their head against these oppressions and atrocities,

श्री चन्द्र पाल शैलानी (हाथरस) : परम आदरणीय सभापति जी, इस सदन में देश के उन करोड़ों करोड़ अछूत कहे जाने वाले लोगों पर जुल्म तथा अत्याचारों के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। सन् 1971 से जब से कि मैं इस सदन में आया हूं तब से अब तक मैं समझता हूं अनेकों बार इस सम्बन्ध में चर्चा हुई है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे-जैसे दवा की जा रही है वैसे-वैसे मर्ज बढ़ता जा रहा है। मैं सदियों, वर्षों या महीनों की बात नहीं कहता, इसी मार्च के महीने में पन्द्रह दिन में चार-पांच ऐसी दुःखद घटनायें हुई हैं शेड्यूल्ड कास्ट्स ट्राइब्ज के लोगों पर, कि जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते है और मानवता का सिर शर्म से झुक जाता है। हम अभी तक इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि उसकी जड़ में क्या चीज है। (व्यवधान) जहां तक मेरा अपना ख्याल है, आजादी से पहले क्या होता था उसमें मैं नहीं जाना चाहता, आजादी के बाद, जब यह देश कांग्रेस के नेतृत्व में आजाद हो गया तो इस देश में हमने सर्वसत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की और धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद जैसे महान सिद्धांतों को अपनाया, हमारी सरकार ने और हमारे कर्णधारों ने इन महान सिद्धांतों को अपनाया जो स्वाभाविक था किन्तु इस देश के कुछ दकियानूसी विचार-धारा के लोगों को, कुछ धर्म के ठेकेदारों को यह अच्छा नहीं लगा क्योंकि हजारों सालों से जिनको अछूत, चाण्डाल और शूद्र कहा जाता था, जिनको ज़रखरीद गुलाम माना जाता था उनको भी आजादी के बाद हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दिया—शिक्षा, उद्योग सभी क्षेत्रों में उनको बराबरी का अधिकार सरकार ने दिया तो उन लोगों को बुरा लगा। परिणामस्वरूप आज हम देख रहे हैं कि किसी न किसी रूप में वे चाहे भूपति हों या बड़े उद्योगपति हों या धर्म के ठेकेदार हों, जो भी सबल वर्ग के लोग हैं जो हमेशा इन लोगों से गुलामी और बेगार करवाते थे वे आज भी इन लोगों पर जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं।

सभापति जी, सबसे पहले तो मुझे इस शब्द "हरिजन" पर ही आपत्ति है हालांकि यह शब्द सरकार द्वारा प्रतिपादित नहीं है। हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी ने इसलिए यह शब्द दिया था कि लोग इनको भगवान का बेटा समझकर समानता का व्यवहार करेंगे लेकिन आज उससे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आज हरिजन कह कर उसको हजारों में भी पहचान लिया जाता है। हालांकि सरकार ने इस शब्द को मान्यता नहीं दी है लेकिन फिर भी हम देखते हैं राज्यों में हरिजन कल्याण निदेशालय, हरिजन समाज कल्याण निदेशालय खुले हुए हैं और जिलों में हरिजन कल्याण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मैं समझता हूं सरकारी स्तर पर इस प्रकार से इस शब्द को इस्तेमाल किया जाए यह उचित नहीं है और इसको रोकना चाहिए। (व्यवधान) मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि इस शब्द को गढ़ने के पीछे बापू जी की भावनायें बहुत अच्छी थीं लेकिन चूंकि आज इसका दुरुपयोग किया जा रहा है इसलिए इसका प्रचलन बन्द करना आवश्यक है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में बड़े-बड़े जमींदारों ने भूमि सेना की एक आर्गेनिजेशन खड़ी कर रखी है। जिसका काम यह है कि जो भूमिहीन लोग हैं, मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, अछूत लोग हैं, शैड्यूल्ड

कास्ट्स और ट्राइब के लोग हैं, इन लोगों को मारना पीटना। ये लोग खेतों में काम करने जाते हैं और ये भूमि के बंटवारे की बात करते हैं तो इनको गोलियों से भून दिया जाता है। उनके घरों को जला दिया जाता है। उनकी स्त्रियों, माताओं और बहनों को बेइज्जत किया जाता है। इसलिए मेरा गृह मंत्री जी से निवेदन है कि बिहार में यदि भूमि सेना का इलाज नहीं किया गया तो यह बहुत बड़ी समस्या बन कर खड़ी हो जाएगी। इसका हल क्या हो सकता है, यह तो आप ही जानते हैं, क्योंकि इन लोगों की रक्षा करने का काम आपके जिम्मे हैं। मुझे यह भी भय है कि भूमि सेना के लोग बिहार की सीमा को लांघ कर दूसरे राज्यों में भी जायेंगे और वहां भी इस प्रकार की स्थिति पैदा करने की कोशिश करेंगे।

दूसरी बात, सरकारी दफ्तरों में भी छुआछूत की बीमारी कम नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि यदि किसी भी सरकारी दफ्तर में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों की ओर से शिकायत आए तो उस पर आपको तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। बड़े-बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली और राज्य की राजधानियों में किसी हद तक लोग समझदार हैं। लेकिन देहात में जहां पर बी० डी० ओ० और तहसीलदार के दफ्तर हैं—इन छोटी-छोटी जगहों पर यह बीमारी भयंकर रूप में विराजमान हैं। जिसके शिकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग होते हैं। इसका भी आपके द्वारा इलाज किया जाना चाहिए।

मुझे भूमि सुधार के विषय में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि कह-कह कर बहुत कह चुके हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा की ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है। मेरा विचार है जब तक सही मायनों में भूमि सुधार नहीं हो सकता, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। एक आदमी के पास बीस हजार एकड़ जमीन है और एक आदमी के पास एक इंच भी जमीन नहीं हैं। यह इतनी बड़ी असमानता है, जिसको दूर करना चाहिए। यदि इस ओर अब भी ध्यान नहीं दिया गया तो ये जुल्म और अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जायेंगे। हालांकि हमारी नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी और उससे पहले स्व० पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्री लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं ने भी इन कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए, इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये बहुत कुछ काम किया है। और आज भी किया जा रहा है। फिर भी हम देखते हैं कि जब आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी है, तो हमारी महान नेता ने नए सिरे से बीस सूत्री कार्यक्रम का सृजन किया। इस नए बीस सूत्री कार्यक्रम के द्वारा भी जितना लाभ इन लोगों को पहुंचना चाहिए था, वह नहीं पहुंच पा रहा हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। आज भी बैंकों के दरवाजों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग खड़े रहते हैं, खड़े हुए उनको महीनों गुजर जाते हैं, लेकिन उनको किसी भी कार्यक्रम के अन्दर किसी भी प्रकार का लोन नहीं दिया जाता है। उनको उद्योग लगाने के लिए पैसा नहीं दिया जाता है।

मेरे क्षेत्र के लोगों ने कहा है कि उनको लोन नहीं दिया जा रहा है। आफिसर बैंकों में बैठे हुए हैं, कहते हैं कि तुम शूद्र हो, तुम्हारा काम गुलामी करना है, गुलामी करो। बनने चले हो उद्योगपति। मैं चाहता हूं कि इसकी गम्भीर रूप मे जांच की जानी चाहिए। इस बीससूत्री कार्यक्रम से टाटा-बिरला को फायदा नहीं होने वाला है, इसका फायदा कमजोर वर्ग के लोगों को होगा।

[श्री चन्द्र पाल शैलानी]

मैं आपको एक यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि रेडियो और दूरदर्शन पर जिस तरह से हम साम्प्रदायिक सद्भावना तथा मद्यनिषेध के आदि के प्रचार करते हैं, उसी तरह से इन जातियों पर जो जुल्म होते हैं, उनको जिन्दा जलाया जाता है इस प्रकार की घटनाओं का रेडियो और दूरदर्शन पर प्रचार करना चाहिए, कम से कम 24 घंटे में पांच मिनट का समय इसको भी दिया जाना चाहिए कि इन लोगों के साथ अगर कोई ज्यादती करेगा, अत्याचार करेगा, तो उस को भयंकर परिणाम भुगतने होंगे।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं—मैं 1971 से मांग करता आ रहा हूं—इस देश में मुर्गी पालन के लिये, पशु पालन के लिये, सूअर पालन के लिये, मछली पालन के लिये मंत्रालय बने हुए हैं लेकिन इस देश के करोड़ों शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की समस्याओं के समाधान के लिये कोई अलग मंत्रालय नहीं है। मैं चाहता हूं कि इनके लिये अलग से मंत्रालय हो, जिसका काम यह हो कि वह देखें कि कहीं उनके ऊपर जुल्म तो नहीं हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी शिक्षा की स्थिति क्या है, उनकी नौकरियों की क्या स्थिति है। वे सारी चीजें जो उनके साथ सम्बन्ध रखती हैं वह मंत्रालय देखे। मुझे पूरा विश्वास है—हमारे माननीय विद्वान गृह मंत्री जी जब इस डिबेट का जवाब देंगे, वे निश्चित रूप से इस बात की घोषणा करेंगे कि इस देश के करोड़ों शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार उनके लिये एक अलग मंत्रालय की स्थापना करेगी।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : सभापति जी, जब कोई चर्चा चलती है तो उससे कुछ न कुछ ज्ञान लाभ और कुछ क्षणों के लिये मन का दुख मिट जाता है। यह हजारों साल पुरानी बीमारी है, सैकड़ों सालों की अंग्रेजों की गुलामी का कोढ़ है और आजादी के जमाने से लेकर आज तक तो यह कैन्सर बन गया है—अब इसका इलाज हो ही जाना चाहिये। कुछ साथियों को भय है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो हरिजन अलग हो जायेंगे। महात्मा गांधी, डाक्टर अम्बेदकर और डाक्टर लोहिया आज इस संसार में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने कुछ चिह्न छोड़े हैं, कहीं-कहीं चिन्गारी सुलग रही है और कहीं-कहीं छोटी-छोटी रोशनी नजर आ रही है, हम लोग अपना रास्ता उन से तलाश कर लेते हैं, उससे अपने स्वार्थ को पूरा कर लेते हैं, लेकिन जहां अपने स्वार्थ को चोट लगती है वहां उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। मैं आज उनको नमस्कार करता हूं—उन्होंने इस ज्वाला को, इस रोशनी को इस देश में फैलाने की कोशिश की थी।

यह शासन समाज का प्रतीक है और समाज शासन का प्रतीक है। पार्टी, समाज, सरकार, देश, इनमें बहुत अन्तर नहीं हो सकता है, सब एक दूसरे से ओतप्रोत हैं। लेकिन भारत के गरीब अछूत, हरिजनों का यह समाज बुनियादी तौर पर दुश्मन रहा है और सरकार समाज के साथ रही है। अगर कहीं दया से कोई काम हो जाय तो दूसरी बात है, लेकिन अपने तौर से इस समाज और सरकार की यह इच्छा नहीं हुई कि उनको समानता या मानवता का दर्जा दिया जाय। मानवता और बराबरी तो बहुत बड़ी चीज है, पशुओं जितना दर्जा भी मिले, उसके योग्य भी नहीं समझा गया। उनका कोई अधिकार, कोई हक नहीं माना गया। भारत का बटवारा हुआ, कितने लोग पाकिस्तान से यहां आये, आज उनकी हालत क्या है—बहुत बेहतर हालत है, लेकिन जो हजारों सालों के दबाये हुए थे बद से भी बदतर हैं। इसकी

जड़ को पकड़िये। नहीं चाहते हैं लोग। कनॉट प्लेस में कौन बसता है। राम विलास भाई कहते हैं कि किनारे बस जाएंगे। ऐसी मांग करते हैं। आपको कनाट प्लेस में किसने बसने दिया है। आज ये लोग कहां बस रहे हैं। जहां गांधी बाल्मीकि बस्ती में रहते थे, तो उसको उठाकर यमुना पार फैंक दिया और वहां कोठी आ गई, तो और आगे फैंक देंगे। हर गांव में, हर शहर में और हर अच्छी जगह पर अच्छे आदमी रहेंगे और देवता रहेंगे इस देश के अन्दर वे लोग जिनकी हैसियत पशु से बदतर है, उनको रहने की जगह कहां है। आप यह मत समझना कि जनता पार्टी दोषी थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी शुद्ध है और कांग्रेस पार्टी दोषी थी, इसलिए जनता पार्टी शुद्ध है। क्या ये पार्टियां हैं? इधर का कचूमर उधर और उधर का कचूमर इधर। ये क्या पार्टियां हैं। हिंदुस्तान में एक करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि हिन्दुस्तान में शोषण को, जुल्म को, हिन्दुस्तान में अन्याय को, हिन्दुस्तान में पाप को बल देते हैं और यही कारण है कि देश कमजोर होता है। जब ऐयाशी और बदमाशी होती है, तो देश का गरीब लुटता है और जब देश पर संकट आता है, तो ये लोग दूर भागते है और हिन्दुस्तान गुलाम होता है। यह कहते हैं कि काश, कभी वह दिन आए, काश वह दिन आ जाए, ऐसा दिन नहीं कि हरिजनों के बड़ों को मार दो, तो फिर हरिजनों की तबियत करे कि बड़ों से मुकाबला नहीं, तो उसके बच्चे को मार आओ। वे तो दोनों शूद्र हैं। ऐसा दिन भी न आए और भिंडरावाला जैसा दिन भी न आए इस देश के अन्दर कि भाई कन्हैया को मारने वाला आदमी भाई कन्हैया के उसूलों के विपरीत चले और ऐसा नहीं कि रामायण में अगर लिख दिया गया :

> चाहे विप्र हो गुणहीना,
> चाहे शूद्र हो ज्ञान परवीना।
> एकहू धर्म नहीं जग दूजा,
> करहू विप्र पद पंकज पूजा॥

अगर यह ऐसे हो जाए तो ठीक होगा :

> चाहे शूद्र हो गुणहीना,
> चाहे विप्र हो ज्ञान परवीना।
> एकहू धर्म नहीं जग दूजा,
> करहू शूद्र पद पंकज पूजा।

राष्ट्र को कौन सा फायदा है, इन्सानियत और मानवता को कौन सा फायदा है। मैं तो कहूंगा कि आग लगे, आग जले और आग उठे, जिस के अन्दर यह असमानता जल जाए। मुर्गी पालन, सुअर पालन की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि बुनियाद को पकड़ो। मैं अपनी सोचता हूं। मेरे बाद मेरा कुनबा, उसका क्या हो, मेरे बाद मेरा लड़का, उसका क्या हो, मेरे बाद मेरी लड़की उसका क्या हो और लड़के-लड़की से दूर जाऊं, तो फिर परिवार और दोस्तों का क्या हो। हिन्दुस्तान में ऐसे बहुत कम लोग होंगे, जो ऐसा न सोचते हों। कम से कम मैं तो पूर्ण नहीं हूं, कुछ लोग पूर्ण होंगे। आज जिन लोगों की चर्चा हम करते है, उन में से कुछ लोग जीवित होते या उन का कुछ अंश जीवित होता, तो कुछ हो सकता था। आज तो यह होता है कि सरकार चले कैसे, सरकार टूटे कैसे, सरकार दोषी कैसे हो, सरकार गुणी कैसे हो। आज यहीं बैठ कर बातें करते हैं लेकिन आज कहीं कोई है गांधी जी की तरह जो कि नवाखाली के अन्दर आग लगी, तो वे गये थे। आज कोई इस तरह से जाने वाला है। गुजरात के अन्दर आग लग रही थी और गुजरात के अन्दर केन्द्र का शासन था लेकिन हिम्मत नहीं होती थी जो यह कह देते कि शासन को बर्खास्त करो। जब हिन्दू-मुस्लिम विवाद हुआ, उस वक्त गोपी चन्द भार्गव जिन्दा

[श्री मनी राम बागड़ी]

थे। गोपी चंद भार्गव से बड़ा गांधीवादी कोई नहीं था। जब गांधी जी को मारा गया तो वह पंजाब के शासन में था। उसने कहा कि गांधी के मारने वाले पर धिक्कार है। वह दो मिनट में भागा हुआ आया। कहां हैं वे लोग? कहां है डा० अम्बेदकर, कहाँ है डा० लोहिया, कहां है जयप्रकाश नारायण ? कहां हैं ऐसे शक्तिशाली आदमी? आज तो ऐसे शक्तिशाली आदमी हैं जो रुपयों में, नोटों में और वोटों में तुलेंगे। फिर उनके हाथियों मे जुलूस निकलेंगे, जय-जयकार होंगे। उनके ही नहीं तीन पुस्तों तक जयजयकार होंगे। लेकिन आज कानून की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। समाज के अन्दर प्रतिभाशाली कोई नहीं है जो बिना हथियारों के जुल्म के खिलाफ बात कर सके। कोई है ऐसा राष्ट्र का नेता ? कोई नहीं है।

इसका इलाज कुछ नहीं है। इसका इलाज यह नहीं है कि हम दबी जबान में बात करें। राम विलास जी अगर दबी जबान में हम हरिजनों की बात करते हैं, मन में डा० अम्बेदकर का नाम बोलते हैं और ऊपर से हेंअर-हेंअर कहते है तो बात नहीं बन सकती। जब हिन्दुस्तान के हर हरिजन की आत्मा उठेगी, जब हिन्दुस्तान के करोड़ों हरिजन उठेंगे तब इसका इलाज होगा। गांधी जी ने जो ज्योति जलाई थी, वह ज्योति पंडित जवाहर लाल नेहरू के राज में भी थी क्योंकि उस वक्त कांग्रेस वालों में हिम्मत थी। उस वक्त जो जुल्म होता था उसके खिलाफ वे बोलते थे। लेकिन आज प्रोफेसर रंगा भी हेअर-हेअर के सिवाय और कुछ नहीं बोल सकते। कमलापति जी भी विचारे वहां उठ कर जा सकते हैं। हम लोग भी लावारिस हैं, हमारा ग्रुप भी लावारिस है। आज सच बात और अकल की बात कहने वाला कहां है। आज हम गांधी जी की बस्ती जमना-पार ले जायेंगे।

मैं हिन्दू और सिख की लड़ाई नहीं चाहता मैं हिन्दू और मुसलसान की लड़ाई नहीं चाहता। लड़ाई में कौन मरेगा? कम्बखत मजहबी। मजहबी कौन, निहंग। निहंग कौन, मजहबी। पानीपत में कौन मरेगा, मजहबी। कौन मरेगा ? औरत मरेगी, अबला मरेगी, बच्चे बच्चियां मरेंगी। तो सेठी साहब यह आपके बस की बात नहीं है। यह समाज का दोष है। आप इसको 30-35 साल में दूर नहीं कर पाये, न कर पाओगे। क्योंकि यह एक समाज का प्रतिबिम्ब है। जैसे सूरज का प्रतिबिम्ब पानी में पड़ता है, उसी तरीके से समाज पर समाज के करोड़ों लोगों का, करोड़ों ऊंचे लोगों का प्रतिबिम्ब पड़ता है। उन ऊंचे प्रतिष्ठावान लोगों के प्रतीक हम हो गये हैं। एक चन्द्रपाल शैलानी बिचारा डा० अम्बेदकर के रिजर्वेशन के आधार पर और किसी पार्टी के टिकट-विकट के आधार पर जीत कर आ जाएगा। चौधरी सुन्दर सिंह जैसे आदमी के मन के अन्दर तो आग लगी हुई है लेकिन विचारा चुप बैठा हुआ है।

मैं कहता हूं कि आज हम अपने अन्दर से कमजोरी निकालें और देश के शोषितों, पीड़ितों, हरिजनों के दिमाग के अन्दर जुल्म के खिलाफ विद्रोह करने की आग लगाएं। वे किसी को मारें या कत्ल न करें। गांधी जी और डा० लोहिया के यह उद्देश्य नहीं थे। गांधी जी ने भूख हड़ताल की, मरण व्रत किया। उनकी जान को बचाने के लिए डा० अम्बेदकर जैसे सिद्धांतवादी नेता ने अपने सिद्धांतों को भी दांव पर लगाया। उन्होंने बापू से कहा कि क्या ये फारेन लोग अछूतों को बड़े लोगों से दूध और शक्कर, या शक्कर और पानी की तरह मिला सकेंगे ?

आज कहां हैं वे लोग जो** यह पूछ ले कि तुम** मंत्री हो, तुमने हरिजन का मकान क्यों छीना ? हरियाणा के अन्दर एक हरिजन औरत को उसके बेटे के साथ नंगा रात को हवालात में बंद रखा गया। उस साजिश में एक मंत्री भी शामिल था। यह कहां गई मानवता ? यह अखबार है जिसके अन्दर लिखा है कि 8 से 12-14 वर्ष तक की बच्चे-बच्चियों को बेचा जाता है। बेचने वालों के अड्डे हैं। क्या हम पांच-सात सौ आदमी यह मानकर नहीं चल सकते कि मेरा अपना लड़का, मेरा लड़का नहीं है, बल्कि सारा राष्ट्र मेरा है ? अगर हम, इंदिरा जी यह मान लें कि राजीव ही मेरा बेटा नहीं हैं, ये बच्चे-बच्चियां भी मेरे हैं तो इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। अगर हम यह मान लें कि सारा राष्ट्र हमारा अपना है तो इस मर्ज का कुछ फैसला हो जाए।

श्री चन्द्रपाल शैलानी: बागड़ी जी जाति-पात के सवाल का ड्रामा कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनकी पार्टी के लोग ही इस तरह का व्यवहार करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों का उन्होंने समाज से बहिष्कार किया है ?

कितने लोगों के खिलाफ आपने बगावत की है, कितने लोगों के खिलाफ आपने जेहाद छेड़ी है। इसका क्या जवाब है आपके पास ?

श्री मनी राम बागड़ी : आप ठीक कहते है। अगर जुल्म करने वालों के भरोसे जिन्दा हैं तो डा० अम्बेदकर, गांधी और लोहिया को आपने पढ़ा ही नहीं। आप तो इधर से उधर चले गए हैं इसलिए आपका बोलना जरूरी है। नहीं तो लोग समझेंगे कि हमसे मिला हुआ है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मैं कभी चौधरी साहब के दरवाजे पर टिकट मांगने नहीं गया और न ही चौधरी साहब कभी मेरे क्षेत्र में आए हैं। मैं अपनी टिकट पर जीतकर आया हूं। (व्यवधान)

श्री मनी राम बागड़ी: मेरी बिरादरी कौन सी है। मेरी बिरादरी गांधी जी की बिरादरी है। अगर मैं आदमी हूं। मैं इन्सान हूं तो मेरी बिरादरी डा० अम्बेदकर और लोहिया की बिरादरी है। अगर मैं नहीं हूं तो मैं भी पापी हूं और सबसे ज्यादा पापी हूं। मेरी कोई बिरादरी नहीं है, मेरी राष्ट्र बिरादरी है। अगर मेरी अगर मेरी कथनी और करनी में फर्क है तो गृह मंत्री महोदय ऐसे संसद सदस्यों के दो चार के खिलाफ कम से कम मुकदमा दायर कर दें कानून के मुताबिक। कम से कम उनकी तो पकड़-धकड़ करनी चाहिए। ये **मिश्र, ये **शर्मा जी··· ।

सभापति महोदय : जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम मत लीजिए।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : आकशबाणी से ये जो मिश्र, शर्मा, पंडित, ये जो नाम हैं, इनको तो आप कम से कम हटा दें। ये प्रचार तो कम से कम खत्म हो। कहीं तो इस वर्ण व्यवस्था को तोड़ने की शुरूआत करिए।

गरीबी मिटाने का तो लंबा सिलसिला है। बहनजी बैठी हैं इस लिए इनसे डरना पड़ता है। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि इसका कोई हल निकालिए। बाकी ये बीस सूत्रीय कार्यक्रम से क्या होने वाला है। सूत्र तो बस दो ही हैं, इंदिराजी और राजीव जी, बाकी तो सब जीरो हैं।

**Not recorded.

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, हरिजनों के बारे में बहस हो रही है। देश में उन पर अन्याय हो रहा है। यह बड़ा गम्भीर मामला है हम माननीय सदस्य यहां पर बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि जहां तक देश की आर्थिक स्थिति का सवाल है, आर्थिक स्थिति इससे जुड़ी हुई है। हिन्दुस्तान आजाद हुआ। हिन्दुस्तान के हरिजन और गरीब लोग सुख की सांस ले रहे हैं। आज उनमें पढ़े लिखे लोग भी आये आए हैं और समाज के प्रति उनकी वफादारी पर भी कोई शक नहीं कर सकता है। समाज के लिए उन्होंने काम किया है। डा० अम्बेदकर यहां मंत्री भी बने और उन्होंने हरिजनों को मार्गदर्शन दिया।

इसी प्रकार महात्मा गांधी जी ने भी हरिजनों और गरीबों को उठाने की बात की थी। आज हरिजन ही गरीब नहीं हैं बल्कि पण्डित, राजपूत तथा दूसरी जाति के लोग भी गरीब हैं। आज समाज दो वर्गों में बंटा हुआ है। एक अमीर हैं दूसरे गरीब हैं। यह सही है कि हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा गरीबी है। पानी पीने के बारे में जो कुछ यहां अभी कहा गया है, मैंसमझता हूं आज के समय में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो बहुत बुरी बात है।

श्री राम विलास पासवान : होम मिनिस्ट्री पर बोल रहे हैं या शेड्यूल्ड कास्ट्स की एट्रोसिटीज पर बोल रहे हैं। यह मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

सभापति महोदय : इसको पाइन्ट आफ आर्डर नहीं माना जा सकता।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : यहां पर कुछ सदस्यों ने हरिजनों के कत्ल की बात की है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कितने केसेज दर्ज कराए हैं? सासाराम की बात यहां पर कही गई। वह हमारी रिजर्वड कास्टीच्युएन्सी है। जब इन्दिरा जी और राजीव जी को दो सूत्री प्रोग्राम बताया तो उस वक्त क्यों नहीं पाइन्ट आफ आर्डर उठाया? भिंडरावाले की बात भी यहां पर कही गई। मैं कह सकता हूं कि कोई हरिजन आपकी बात में नहीं आयेगा। जो इस मुल्क को बेदर्दी के साथ तबाह करना चाहता है, उसको हरिजन कैसे मान सकते हैं? अगर हमारी पार्टी न होती तो आज हमें इस सदन में आने का मौका नहीं मिलता।... (व्यवधान) हमारे पहाड़ी क्षेत्र में सभी हरिजनों को जमीनें दे दी गई हैं।

दूसरी जाति के ब्राह्मण या राजपूत हैं, उनको भी जमीन लेने का अधिकार होना चाहिए। हमारी सरकार हमेशा यही कहती है कि हरिजनों पर ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार जितनी हरिजनों की मदद कर सकती है, उतनी कोई और सरकार नहीं कर सकती। आई० ए० एस०, आई० पी० एस० या दूसरी जितनी भी कैटेगिरी है, उसमें भी हरिजनों को हिस्सा मिलना चाहिए। पढ़े-लिखे लोगों के सामने जात-बिरादरी का कोई मतलब नहीं होता।

जात-बिरादरी तब पैदा होती है जब कोई आदमी मूर्ख-मण्डल में शामिल हो जाता है। इंसान के नाते हम समाज में पैदा हुए हैं, इंसान के नाते ही हमें देश में काम करना है। अगर हम जात-बिरादरी में बंटे रहे, जिस तरह से ये पार्टियां विभाजित करती हैं, इनकी भी 18 कौम हैं। पता नहीं यह कौनसी कौम हैं सवेरे हमारे खिलाफ इकट्ठी हो जाती हैं लेकिन बाहर इनकी कौमें बन जाती हैं।

अगर हमें देश को आगे ले जाना है तो उस तरफ के हमारे साथी, जो माननीय नेता बैठे हैं, उनको भी यह बात सोचनी है कि देश में अगर कौमों को बढ़ावा देंगे तो ये बढ़ेंगी इसलिए हमें यह बात उठानी चाहिये कि जहां जुल्म होता है, उसके मुकाबले में हमको लड़ना है लेकिन इस तरह नहीं कि कृपाणों से, जिस तरह उन्होंने कहा कि भिंडरावाला बन जाएंगे। यह बात नहीं है।

पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दूसरी जगहों की हालत अगर खराब है तो यही वजह है। हरिजन और गिरिजनों के नाम पर आज एक सीधा कानून बना दिया है, उनको आइडिएन्टीफाई कर दिया है कि गरीबी की रेखा से कितने आदमी नीचे हैं, विकास खंडों में काम चल रहा है सरकार पता लगा रही है कि कितने आदमी गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उसमें जो हमने टारगेट बनाये हैं, उनका एचीवमैंट करना है। मैं यह कहना चाहूंगा कि टारगेट कागजी नहीं रहने चाहियें। गरीबों को ऊंचा उठाने का टारगेट पूरा होना चाहिए। जहां कहीं जुल्म होता है, उसके खिलाफ हमारी गवर्नमेंट कभी नहीं कहती कि जुल्म होना चाहिए।

हमारे सेठी जी जैसे आदमी, जो बहुत समझदार हैं, जिन्होंने बुनियादी तौर पर काम किया है, नीचे से लेकर ऊपर तक आज होम मिनिस्टर के पद पर हैं, मैं उनसे आशा करता हूं कि हरिजनों पर ज्यादती का मौका नहीं देंगे।

ये 18 कौमों के आदमी यहां इकट्ठे हुए हुए हैं, 18 पार्टियां बनी हुई हैं, कोई कलकत्ता की बात करता है तो कोई बम्बई की। इस देश को एकता के रूप में रखने के लिये यह जरूरी है कि जहां-जहां ज्यादती होती है, उसका समाधान हो और गरीब आदमियों पर अत्याचार न हों।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के करोड़ों हरिजन इन अत्याचारों के कारण आज अपनी जबान से कह रहे हैं—

गुनाहगारों में शामिल हैं,
गुनाहों से नहीं-वाकिफ
सजा तो जानते हैं,
पर खुदा जाने खता क्या है ?

मैं कह रहा हूं—

जब कभी बिकता है बाजार में
मजदूरों का गोश्त
और शाह राहों पर
गरीबों का लहू बहता है,
इक हूक सी उठती है
मेरे दिल में, ऐ दोस्त,
और मेरा दिल मेरे
काबू में नहीं रहता है।

एट्रोसिटीज की डैफीनिशन क्या है, वह तो आज तक डिफाइन नहीं किया गया है। अत्याचार की परिभाषा क्या है? पहला अत्याचार तो यह सदन हमारे ऊपर कर रहा है। इस मजमून पर बहस करने के लिये भी हमें झगड़ा करना पड़ता है। झगड़े के बिना इस पर बहस भी नहीं होती। जिस दिन से यह सरकार बनी है, शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस नहीं हुई है, क्या यह कम अत्याचार है ?

[श्री सूरज भान]

बाबा साहेब स्वर्गीय डा० अम्बेदकर ने विधान के आर्टिकल 338 के मुताबिक लिखा था—

There shall be an officer to look after the interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

उसका डेजिगनेशन था कमिश्नर फार शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज। पहला अत्याचार हुआ, उसके दफ्तर सभी स्टेट्स में थे, वह बिल्कुल एवालिश कर दिये गये। दिल्ली में अब एक दफ्तर रह गया है। उसके बाद अब एक पोस्ट रह गई हैं वह भी 3 साल से खाली है, कोई कमिश्नर उस पर नहीं आया है।

उसके बाद देखिये, बाबा साहेब ने आर्टिकल 335 में लिखा—

There shall be reservation in posts and services.

उस पर अमल करने के लिये इस सरकार ने आज तक कोई कानून नहीं बनाया है जिसके कारण कुछ भी इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ है। इससे बड़ा अत्याचार और क्या होगा? इसको अगर आप दूर करना चाहते हैं तो आपकी नियत का पता लग जायेगा अगली 6 अप्रैल को। उस दिन मेरा एक बिल है सर्विसेज में रिजर्वेशन को इम्पलीमेंट करने के लिये। यह प्राइवेट मेम्बर्स बिल है, इस पर डिस्कशन शुरू हो चुका है कि उसके लिये एक्ट बने। मैं देखता हूं कि उसको आप मानते हैं या नहीं?

इससे पता चल जाएगा कि सरकार अत्याचारों को रोकना चाहती है या नहीं।

1982 में 5201 एट्रासिटीज हुईं और 1983 में—ये अधूरे आंकड़े हैं, क्योंकि कुछ स्टेट्स से इनफर्मेशन नहीं आई—5177 एट्रासिटीज हुई। पिछले साल—ये आंकड़े भी लगभग आठ, नौ महीनों के हैं—557 हरिजन और आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, 487 हरिजन-आदिवासियों का कत्ल हुआ और 1356 हरिजन-आदिवासी गंभीर रूप से घायल हुए। कुछ घटनाओं का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहता हूं।

महाराष्ट्र के अमीरगाद गांव में खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए सातवीं जमात में पढ़ने वाले 14 साल के आदिवासी लड़के माधो को आठ बार छुरा मारा गया और उसको खत्म कर दिया गया और उसके खून को खेत में डाल दिया गया। खेतों में आदिवासियों से काम लिया जाता है और खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए भी उन्हीं के खून को इस्तेमाल किया जाता है।

दुर्गापाली, सांबलपुर के पास जमीन के झगड़े के कारण तीन हरिजन जिन्दा जला दिए गए।

मध्य प्रदेश में किशनगढ़ इलाके में डाकू सुराज लोधी ने 70 आदिवासियों को कत्ल कर दिया गया है। वह कहता है कि देवी को खुश करने के लिए उसने 108 आदिवासियों को कत्ल करना है।

एक माननीय सदस्य : वह देवी कौनसी है?

श्री सूरज भान : देवी कौनसी है, मैं नहीं कह सकता वह डाकू ही इसका जवाब दे सकता है।

किशनगंज ब्लाक, जिला पूर्णिया, बिहार में दो हजार भतियाओं ने 5 आदिवासियों को

कत्ल कर दिया और 5 को जख्मी कर दिया और वे उनके सारे सुअर मारे और सामान उठा कर ले गए।

ग्राम बापूबीघा में 4 डाकुओं ने हरिजन महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उनमें से 50 साल की एक महिला, जानकी-देवी, और 14 साल की एक लड़की, प्रवाती कुमारी, बेहोश हो गई।

18.02 hrs.

(SHRI N. K. SHEJWALKAR in the chair)

भूमि सेना और लाल सेना की कहानी श्री पासवान कह चुके हैं, इस लिए मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा।

ग्राम गोगरी, दमोह, मध्य प्रदेश में होली के त्यौहार पर मंदिर के पुजारी लोगों के मुंह पर गुलाल लगा रहे थे। हरिजनों का कुसूर इतना था कि उन्होंने कहा कि जब सरकार कहती है भेदभाव खत्म हो गया है, तो हमारे मुंह पर भी गुलाल लगा दो। लेकिन उनके मुंह पर दूर से गुलाल छिड़का गया। उन्होंने कहा कि यह तो ज्यादती है। उसके बाद गांव के सरपंच और कुछ दूसरे लोगों ने मिल कर दो हरिजनों की वहीं पर हत्या कर दी।

इन अत्याचारों का एक नया पहलू सामने आया है कि जमीदारों और ऊंची जात के लोगों द्वारा तो ये अत्याचार किए ही जाते हैं, मगर अब पुलिस भी अत्याचार कर रही है। मेरी अपनी कांस्टीट्यूएन्सी में रायपुर रानी का बीस पच्चीस दिन पहले का वाक्या है। एक हरिजन लड़के पर चोरी का इल्जाम लगा। वह इल्जाम झूठा था, लेकिन मान लीजिए कि वह सच था। उसको, उसके बाप और मां को थाने में बुलाया गया और पीटा गया। यह भी काबिले-बर्दाश्त था। लेकिन कालू नाम के उस लड़के और उसकी मां प्रेमोदेवी दोनों को मार-पीट के बाद कमरे में नंगा किया गया, एक दूसरे पर लिटाया गया और उन्हें कुकर्म करने के लिए कहा गया। मां-बेटे का पवित्र रिश्ता भी आज पुलिस से बचा हुआ नहीं है।

जब मैंने इसका विरोध करते हुए धरना दिया, तो डी० एस० पी० ने मुझे धक्का दिया और कहा कि बकबक मत करो। जब मैंने यहां पर प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया, तो आदरणीय स्पीकर सहाब ने होम मिनिस्ट्री से रिपोर्ट माँगी और होम मिनिस्ट्री ने वहां से रिपोर्ट माँगी। वहां से यह जवाब दिया गया कि किसी ने धक्या नहीं दिया। दिन के 11 बजे का वह वाक्या था, जब कि 150 वर्कर मेरे साथ थे और चार-पाँच सौ बाजार के लोग वहां मौजूद थे। सवाल यह है कि वहां किसने इनक्वारी की, कब इनक्वारी की। मुझसे किसी ने इस बारे में नहीं पूछा। वहां पर एक एम० एल० ए० को भी धक्का दिया गया। जब एम० पीज की यह हालत है, चाहे वह सत्यना-रायण जटिया हो, सोनकर हो, रामस्वरूप राम हो या कोई भी हो, तो गरीब हरिजनों की हालत क्या होगी?

मैं रायपुर वीरां की एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं।

गरीब हरिजनों के पास अस्सी साल से जमीन है, धर्मशाला बनी हुई है, रविदास मंदिर बनाने के लिये तीन साल से झण्डा गड़ा हुआ है, इस पर भी मार-पिटाई होती है। इसके लिए तो कोर्ट-कचहरी से निपटा जा

[श्री एन० के० शेजवलकर]

सकता है। लेकिन वहां का डी० एस० पी० पढ़े लिखे सरपंच को कहता है कि बूढ़े-चमार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जलूस निकाला, इश्तिहार निकाले, लेकिन कुछ कार्यवाही नहीं की गई। पुलिस कानून की रक्षा करने के लिए हैं। यदि बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत की हालत क्या होगी। मैं चाहता हूं कि डी० एस० पी० के खिलाफ आपको कदम उठाना चाहिए और उसको हथकड़ी लगानी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है।

मैं आपको मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश, की एक घटना बताता हूं। जिसका जिक्र पासवान जी ने भी किया है। स्वराज नाम का एक हरिजन लड़का, जिसके पास पैसे नहीं थे, उसको रस के उबलते हुए रस के कड़ाहे में डाल दिया। जिसको 14 तारीख को जख्मी किया गया और 17 तारीख को हस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार कु. हसनूर तदवी, 16 वर्ष, पुलिस स्टेशन पिम्पल गांव, नासिक, महाराष्ट्र के पास दो कांस्टेबिल द्वारा उस लड़की को बुलाया गया और बुलाकर इलैक्ट्रिक शॉक लगाकर उसको टोर्चर किया गया। ये सब पुलिस की कहानियां हैं। इन बातों में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं।

मेरी दृष्टि में इन सब चीजों के चार कारण हैं। पहला नान इम्पलिमेंटेशन आफ एग्रेरियन रिफार्म-लैंड रिफार्म के कानून किताबों में ही पड़े हुए हैं। उनको ठीक ढंग से इम्पलीमेंट कर दीजिए तो समस्या कुछ कम हो जाएगी। दूसरा-नान इम्पलिमेंटेशन आफ दि मिनिमम वेज एक्ट-जो कम से कम मजदूरी तय की गई है, यदि वे मांगते हैं तो नहीं दी जाती है। इसको आप ठीक ढंग से इम्पलीमेंट करा दीजिए, तो कुछ समस्या हल हो जाएगी। तीसरा-मैंटल एटीचूड-लोगों के दिमाग से यह बात निकलनी चाहिए कि ये नीच हैं। जब तक यह बात नहीं निकलेगी, तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता है। चौथी-जागृति-अब हरिजन नौजवानों में जागृति आई है। पहले तो वे लोग मार खा लिया करते थे और कहते थे कि एक थप्पड़ मारा है तो दूसरा भी मार लो। यदि आज किसी नौजवान को मारा जाता हैं तो वे कहते हैं कि हम इस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यह कम नहीं होना चाहिए और इसको तो आगे बढ़ना चाहिए।

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Has that not happened? There is more awakening now; there is more spirit of self-reliance and self-respect.

Among scheduled castes, All this has happened since Mrs. Indira Gandhi took over as the Prime Minister.

SHRI RAM VILAS PASWAN: Why has not Mrs. Indira Gandhi removed.*

श्री सूरजभान : मैं रंगा जी की बहुत इज्जत करता हूं। वे इसको पार्टी का सवाल न बनायें। यह एक नेशनल प्राब्लम है। मैं समझता हूं कि यह जो ज्यादतियां हो रही हैं यह एक नेशनल शेम है।

देहुली और साढ़ूपुर में जो कुछ हुआ है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। सरकार ने उन लोगों से कुछ वायदे किए थे। पहला-देहुली के हर पीड़ित परिवार को पक्के मकान दिए जायेंगे। ग्यारह परिवार में छः को तो दिए गए हैं। एक की सिर्फ दीवारें हैं, छत नहीं है और बाकी चार को नहीं दिए गए।

*Not recorded.

साड़पुर में एक को भी पक्के मकान नहीं दिए गए हैं। दूसरे-पीड़ित परिवारों में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दोनों जगहों पर से आज तक एक को भी नौकरी नहीं दी गई है। तीसरा—हर पीड़ित परिवार को भूमि दी जाएगी, जिस पर कि वे काश्त कर सकें। भूमि न देहुली में दी और और न ही साड़पुर में ही दी—सरकार पहले अपने वायदों को तो पूरा करे।

सभापति महोदय, साढ़ूपुर की घटना के समय तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने घोषणा की थी कि साडुपुर को एक आदर्श गांव बनायेंगे, लेकिन अभी तक उस के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

सभापति महोदय, अब मैं सुझाव देना चाहता हूं—जिनसे इन बातों को ठीक किया जा सकता है। मेरा पहला सुझाव है कि आप एक कमीशन सैट-अप कीजिए—सैन्टर की जो गाइड लाइन्ज एट्रासिटीज को बन्द करने के लिए या कम करने के लिए हैं उनका वह कमीशन देखरेख कर सके, मानिटर कर सके और उन का इम्प्ली-मेन्टेशन करा सके।

दूसरा सुझाव—शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को पुलिस कांस्टेबिली में और माल महकमे में ज्यादा से ज्यादा तादाद में भारती किया जाए, उन की संख्या बढ़ाई जाय।

तीसरा सुझाव—सरकार ने माना था कि 48 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, जिन को आइडेन्टिफाई किया गया है जहां एट्रोसिटीज ज्यादा होती हैं, लेकिन उसके बाद कुछ और डिस्ट्रिक्टस को भी आइडेंटि-फाई किया गया होगा। मैं यह चाहता हूं कि 48 या 60 जितने भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिन के लिए आप महसूस करते हैं कि वे वाकई एट्रोसिटी प्रोन एरियाज हैं—आप ऐसे 60 आई०ए०एस० अफसर या आई० पी० एस० अफसर छांटिए जो डाउन ट्राडन के लिए सिम्पेथटिक हों और ऐसे जिलों में उन को पोस्ट कीजिए, कम से कम जिले का डी० सी० या एस० पी० दोनों में से एक हरिजन या आदिवासी जरूर होना चाहिए और उस जिले की जिम्मेदारी उन के ऊपर होनी चाहिए और उन को साफ कह दिया जाए, अगर कहीं भी एट्रोसिटी होती है तो उन को सस्पेण्ड किया जाएगा, उन के खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

चौथा सुझाव—जो एट्रासिटी-प्रोन एरियाज हैं, वहां शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लिब्रली, खुले दिल से, आर्म्ज लाइसेंस दिये जाएं। इतना ही नहीं उनको हथियार भी कास्ट पर दिये जाएं क्योंकि वे महंगे आर्म्ज नहीं खरीद सकते हैं। वैसे तो उनको मुफ्त दिये जाने चाहिये, लेकिन मुफ्त न दे सकें तो 10 या 20 रुपये कास्ट में दिये जायं।

पांचवां सुझाव—एट्रोसिटीज को कम करने के लिये आप ने कहा था कि विलेज-गार्ड-फोर्स बनायेंगे, लेकिन अभी तक उसके लिये आपने कुछ नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि होमगार्ड के पैटर्न पर विलेज-गार्ड-फोर्स बनाई जाय और उसमें ज्यादा से ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को रखा जाय, दूसरी कम्यू-निटीज के लोग भी जो अच्छे विचारों के हों, उनको भी रखा जा सकता है।

छठा सुझाव—मैं यहां पर पार्लियामेन्ट्री कमेटी की बात रिपीट करना चाहता हूं। हमारी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था—मैं उसको पढ़कर सुनाता हूं—उनके इस सुझाव को इम्प्लीमेन्ट करना चाहिये—

[श्री सूरज भान]

"The Committee has been informed that the term 'atrocities' has not been defined under the Penal Laws and constitute criminal offences and come withing the purview of public order which is a State subject. The Central Government have no jurisdiction in the matter in the purely legal and constitutional sense. The Committee do not agree with the views expressed by the Ministry of Home Affairs...

The relevant Article in the Constitution is very significant and is required to be understood in its true spirit for proper and meaningful implementation. The discretion available to the Central Government within the legal and constitutional framework, therefore, should be fully exercised to ensure that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes do not suffer on account of their position in the society. The Committee, therefore, feel that there is an urgent need to introduce a comprehensive law to define and to deal with the subject 'Atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes ...''

मेरा सातवां सुझाव—मेरी दृष्टि में एट्रासिटीज को कम करने के लिए एक बेहतरीन तरीका यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये हमारी तीनों फौजों में—आर्मी, नेवी और एअर-फोर्स में—रिजर्वेशन किया जाय। आर्टीकल 335 के वर्डिंग्ज हैं—There shall be reservation in posts and Services उसमें यह नहीं लिखा है—except Defence Services अगर एक-एक गांव से 5-7 आदमी भरती होंगे तो उनका नजरिया बदलेगा, उनकी जिन्दगी में तरक्की आयेगी और वे डिसिप्लिण्ड होंगे। जब वह छुट्टी पर या रिटायर हो कर गांव में लौटेंगे तो अपने सामने कभी भी एट्रासिटी नहीं होने देंगे। पहले चमार रेजिमेन्ट और महार रेजिमेन्ट हुआ करती थी, आपने उनको तोड़ दिया, बाद में महार रेजिमेन्ट रेस्टोर कर दी गई, चमार रेजिमेन्ट को भी रेस्टोर किया जाना चाहिये था। जब आप के यहां जाट रेजिमेन्ट है, राजपूत रेजिमेन्ट है तो चमार रेजिमेन्ट क्यों नहीं रह सकती। या तो सब को तोड़िये, महाराणा प्रताप रेजिमेन्ट रखिये या नम्बर 1 रेजिमेन्ट, नम्बर 2 रेजिमेन्ट रखिये, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं और उनको रखते हैं तो चमार रेजिमेन्ट को भी रखना चाहिए।

मेरा आठवां सुझाव है कि जहां कहीं एट्रोसिटी होती है, तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज को कहा जाए कि वह इंक्वायरी कराए। अगर एस० पी० और डी० एस० पी० को कह देते हैं कि इंक्वायरी करो, तो दोनों की मिलीभगत होती है और इंक्वायरी ठीक ढंग से नहीं होती है। इसलिए यह जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज इस को देखें।

एक आखरी बात कह कर मैं बैठ रहा हूं। मैं आदरणीय सेठी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप से पहले जितने भी गृह मन्त्री हुए हैं, सभी हरिजन और आदिवासी एम० पीज से मिलकर के बातें किया करते थे। मुझे पता नहीं है कि आपने यह रवायत क्यों नहीं एडोप्ट की है। मैं चाहता हूं कि उस रवायत को आपको कायम रखना चाहिए और हरिजन एम०पीज और आदिवासी एम०पीज से आप अलग-अलग मिलें क्योंकि उनकी समस्याएं अलग-अलग हैं। यहां पर आकर हाऊस में हम सारी बातें नहीं कह सकते हैं। और खुलकर बातें नहीं कर सकते हैं इसलिए उस चीज को आप रिवाइव कीजिए और हरिजन और आदिवासी एम०पीज से आप अलग-अलग मिलें।

मैंने जो ये 9-10 सुझाव दिये हैं अगर इनको मान लिया जाए, तो मैं समझता हूं कि स्थिति में कुछ सुधार आएगा। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री रामस्वरूप राम (गया) : सभापति महोदय, हरिजन और आदिवासी लोगों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में जो प्रस्ताव उपस्थित है, उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

इस प्रस्ताव के मूवर श्री राम विलास पासवान जब बोल रहे थे, तो उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि सरकार हरिजनों और आदिवासियों की समस्याओं के प्रति उदासीन है और उन्होंने यहां तक कह दिया कि 36 वर्षों की आजादी में हरिजनों और आदिवासियों के सवाल पर सरकार ने कोई गौर ही नहीं किया। मैं तो यह समझता था कि यह राष्ट्रीय मुद्दा है और राजनीतिक स्तर से ऊपर उठ कर लोग बात करेंगे और सरकार को कोई कांस्ट्रक्टिव सुझाव देंगे ताकि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उन पर अंकुश लगे लेकिन वे राजनीति की दलदल में आकर फंस गये।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाओं पर डिस्कशन इस सम्मानित सदन में इस बार ही नहीं कर रहे हैं बल्कि 4-5 बार पहले भी यह डिस्कशन हो चुका है लेकिन ठोस कदम न उठाए जाने की वजह से यह समस्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। हरिजनों और आदिवासियों पर जो अत्याचार होते हैं, ये जुल्म सदियों से हो रहे हैं और यह सामाजिक कारणों से होता आ रहा है लेकिन आज जो ऐसे अत्याचार होते हैं, उनकी मुखालफत करने के लिए तमाम हरिजन और आदिवासी भाई विरोध करते हैं और यह कहते हैं कि हम इस तरह के अत्याचार नहीं होने देंगे। इसका कारण यह है कि एक एवेकनिंग हुई है और हरिजन और आदिवासी अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए हैं।

पहले भी घटनाएं होती थीं और हरिजनों पर अत्याचार होते थे। लेकिन उनके लिए कोई मुकद्दमे नहीं होते थे, न किसी को उनके लिए पकड़ा जाता था। वे अत्याचार गांव तक ही रह जाते थे। आज मैं अपनी सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को और अपने होम मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हिन्दुस्तान के हरिजनों और आदिवासियों को उनकी झोपड़ियों में यह सन्देश पहुंचा दिया है कि तुम किसी का जुल्म मत सहो, सरकार की सारी शक्ति तुम्हारे पास है। यह जागृति मैं आज हरिजनों और आदिवासियों में देखता हूं।

मैं जिस जगह से आता हूं वहां भी हमारे हरिजन और आदिवासी भाई रहते हैं। और भी दूसरी कौमें रहती हैं, वीकर सैक्शंस के लोग रहते हैं। वे सब भी आज अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। यह जो उनमें अवेकनिंग आई है, यह आपने नहीं दी है, यह कांग्रेस पार्टी ने दी है, यह इन्दिरा जी ने दी है, यह आपकी देन नहीं है। (व्यवधान) आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। हकीकत तो हकीकत रहेगी, उसको कोई नहीं झुठला सकता।

पहले हरिजनों पर जो अत्याचार होते थे, उनमें उनको जिन्दा नहीं जलाया जाता था। यह जिन्दा जलाने जैसे अत्याचार हमें आपसे जनता पार्टी से विरासत में मिले हैं। पहले हरिजनों और आदिवासियों को मारा जाता था लेकिन उनको जिन्दा जलाने की बात तो चौधरी चरण सिंह के जमाने से शुरू हुई।

[श्री रामस्वरूप राम]

(व्यवधान) मैं बिहार की बात कह रहा हूं, मैं आंध्र की बात नहीं कह रहा हूं। बिहार के के बेलछी में क्या हुआ ?

मैं आपका ध्यान एक अखबार की तरफ ले जाना चाहता हूं। (व्यवधान) आप उत्तेजित मत होइये, शांति से मेरी बात को सुनिये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजनों को कितनी ज़मीन हमारी सरकार ने दी, लेकिन आपकी सरकार ने कितनी दी। आज आंध्र में क्या हो रहा है आंध्र में विभिन्न स्थानों पर हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। ये अत्याचार पहले से बढ़े हैं। आज भी वहां किसी आदिवासी को पंचायत समिति की बैठक में जूते पहन कर भाग नहीं लेने दिया जाता। उनसे कह दिया जाता है कि जूते उतार कर आओ। जब तक मीटिंग होती रहती है, आदिवासी खड़े रहते हैं और खड़े रह कर ही उन्हें मीटिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, इसी सदन के पिछले सेसन में मैंने कहा था कि वहां पर 84 घर हरिजनों के जला दिए गये। इस पर मैंने कालिंग अटेंशन नोटिस दिया था और स्पीकर साहब ने कहा था कि वे बहस करवायेंगे लेकिन उस पर बहस नहीं हुई और सेसन समाप्त हो गया। आज भी आंध्र में क्या हो रहा है। (व्यवधान) यह बहुत दिनों की बात नहीं है, चार-पांच दिनों की बात कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार सिंह : (फिरोजाबाद) यह प्रश्न शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों पर हो रहे अत्याचार का है। माननीय सदस्य इसमें पार्टी का प्रश्न क्यों ला रहे हैं ?

SHRI A. R. MALLU : It is a fact that Mrs. Gandhi is the only leader who has given a lot of awakening to the Scheduled Castes people. That is a fact. ......(*Interruptions*) Is there any single Party at the national level who can lead the Scheduled Castes people ? It is only the Congress (I) Party. When he mentioned about Madam, why do you get so much excited ?

श्री रामस्वरूप राम : मैंने पहले ही कहा था कि यह राष्ट्रीय मुद्दा है, इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। आंध्र में आपकी गवर्नमेंट बनी हुई है। वहां रीजनल और प्रतिक्रियावादी फोर्सिज बढ़ रही हैं। इस अखबार की कटिंग में यह स्पष्ट लिखा है—

मैं आंध्रप्रदेश के बारे में एक अखबार की खबर पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

"कड़पा जिले के 50 हरिजन परिवारों ने जिलाधीश से शिकायत की है कि बड़ी जाति के जमींदार उनके खेतों पर जबर्दस्ती अधिकार करते जा रहे हैं। सरकार ने हरिजनों को खेती करने के लिए बहुत सी जमीन दी थी। उनके पास इस जमीन के वैध पट्टे भी हैं, किन्तु बड़े जमींदार बलपूर्वक उनसे भूमि छीन रहे हैं।"

आप देखिए कि आंध्र में क्या हो रहा है। इसलिए यह सवाल किसी पार्टी का नहीं है। यह सामाजिक सवाल है। हमको अपनी रूढ़िवादिता से लड़ना होगा। इससे जाति और मजहब की दीवार खड़ी करके नहीं लड़ा जा सकता। जैसा कि अभी बागड़ी जी ने कहा कि राष्ट्र ही मजहब है राष्ट्र ही बिरादरी है, इस

तरह की बात अगर सभी लोग मान लें तो ये चीज बंद हो सकती है। लेकिन पता नहीं ये हमारे बुजुर्ग नेता हैं, यहां क्या बोलते हैं और बाहर क्या बोलते हैं, इस बात का हमको पता नहीं है।

बिहार में एक "भूमिसेना" बन गई है। पूरे बिहार में नहीं है, यह सिर्फ पटना जिले में मसौढ़ी, धनरूआ में है और पालीगंज, विक्रम में भी कुछ यह एक्टिव हुई थी।

श्री मनीराम बागड़ी : क्या यह वही भूमि सेना है जिसने श्री कर्पूरी ठाकुर के कत्ल की धमकी दी है ?

श्री रामस्वरूप राम : कर्पूरी ठाकुर तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उनको वे क्या धमकी दे सकते हैं। मैं भूमि सेना का इतिहास बतला देना चाहता हूं। ये कुर्मी जाति के लोग हैं जिनके पास काफी जमीनें हैं। चार-चार हथियार एक एक आदमी के पास हैं। मशीनगनें तक इनके पास हैं। जब खेतीहर मजदूर मिनिमम वेजेज मांगता है या लैंड रेफार्म की बात करता है तो उसमें ये टेरर क्रिएट करते हैं। हरिजनों के गांवों पर हमला किया जाता है और इनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है। कर्पूरी ठाकुर इनको प्रोटेक्शन देते रहे हैं। लैंडड क्लास को इतने लाइसेंस देकर उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरिजन निहत्था है और इसलिए वहां ये अपराध हो रहे हैं। मेरा गृहमंत्री महोदय से आग्रह है कि उन तमाम लोगों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएं और एक सर्वे करके पता कराया जाय कि कितने लीगल और इल्लीगल हथियार वहां पर हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। गरीबों पर अत्याचार इसलिए हो रहे हैं कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत वे अपने अधिकारों की मांग न करें।

राम विलास जी बतला रहे थे कि फार्वर्ड लोगों को सजा नहीं हुई है, बैकवर्ड लोगों को सजा हो गई है। मेरा कहना है कि जात-पात के आधार पर काम नहीं हो सकता। मजहब के आधार पर इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस समस्या के हल के लिए हमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू और डा० अम्बेडकर के बनाए हुए सिद्धांतों पर चलना होगा। महात्मा गांधी बैकवर्ड क्लास के थे और पंडित जवाहर लाल नेहरू ब्राह्मण थे। लेकिन जवाहर लाल जी ने उनके चरणों में रहकर देश का काम किया। तो बैकवर्ड और फारवर्ड की बात कहां आती है। मैं तो बापू की बात को मानता हूं जैसा कि बागड़ी जी कहते हैं।

एक जगह एक हरिजन जाट की खाट पर बैठ गया तो उसका नतीजा यह हुआ कि दो हरिजनों की वहां पर हत्या हुई और यह केस जयपुर हाईकोर्ट में गया तो 5 आदमियों को इसमें कैद की सजा सुनाई गई।

खाट पर तो बैठने नहीं देते लेकिन फारवर्ड और बैकवर्ड की पवित बनाकर लड़ना चाहते हैं। हरिजन के दिल में देश भक्ति का उतना ही खून दौड़ता है जितना कि आपका दौड़ता है। आप भले ही देश के साथ धोखा-धड़ी कर दें लेकिन हरिजन नहीं कर सकता। आज पंजाब में किस बात की कमी है। प्रत्येक गांव सड़क से जुड़ा हुआ है। हर खेत को पानी और हर हाथ को काम मिला हुआ है। इसके बाद भी नेशनल इंटीग्रेशन के नाम पर पंजाब अलग होना चाहता है। पंजाब ने इस मुल्क

[श्री रामस्वरूप राम]

को बहुत कुछ दिया है। लेकिन, भारत माता के सीने पर कुछ प्रतिक्रियावादी ताकतें खंजर भोंकने के लिए सक्रिय हैं। हमें सन् 75 का होम मिनिस्टर चाहिए। आप बड़ी मुस्तैदी के के साथ इन अलगाव-वादी फोर्सेस को खत्म करें। सारे देश की जनता आज होम मिनिस्टर के साथ है। हम लोगों के बीच में पंजाब की समस्या एक चुनौती बन कर खड़ी हो गई है। लोग कहते हैं कि पंजाब की समस्या क्यों नहीं सुलझाई जा रही है। (व्यवधान) मैंने 28 अगस्त 1981 को एक प्राईवेट मैम्बर रेजोल्युशन मूव किया था। मैंने कहा था कि जो मैट्रिक, बी० ए० या एम० ए० पढ़े लिखे हरिजन हैं, वे गांवों में लेबर की जिन्दगी बिता रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि हरिजनों में शिक्षा की तरफ रुझान कम हो रहा है। इसका कारण यह है कि पढ़े-लिखे हरिजनों में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। बिहार में टोटल नम्बर आफ एम्पलाइज चार लाख हैं। उसमें सभी श्रेणी के हैं। इसमें से 96 हजार रिजर्व्ड सीटें मिलनी चाहिए थीं जबकि बीस हजार हरिजन ही वहाँ काम कर रहे हैं। इसलिए, 76 हजार का जो कोटा था, उसको नहीं भरा गया। अगर इन पोस्टों पर हरिजनों को रख लिया गया होता तो कम से कम 76 हजार लोग तो पावर्टी लाईन से ऊपर आ सकते थे। यह कहा जाता है कि 600 परिवारों को हर ब्लाक में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जायेगा। लेकिन कितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है? जीरो-ऑवर में भी मैंने स्पीकर साहब से कहा था कि इस मामले पर डिसकशन होना चाहिए। एन० आर० इ० पी० और दूसरे प्रोग्रामों के तहत इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन कितने लोग अब तक ऊपर उठे हैं? इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि शिक्षित बेरोजगार हरिजनों के लिए जॉब गारन्टी स्कीम लागू की जानी चाहिए।

रिजर्वेशन की जगह पर अगर गारन्टी फार जॉब होगी तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है।

मैं बार-बार कहता रहा हूं कि इस देश में हरिजनों की, आबादी 22 करोड़ है और आदिवासियों की 10 करोड़ है। क्या इन 32 करोड़ की आबादी के लिए एक अलग महकमा नहीं बन सकता है? जहां 32 करोड़ हरिजनों की आबादी हो; हिन्दुस्तान की आधी आबादी के बराबर हो, क्या हम इसके लिए एक महकमा नहीं बना सकते हैं?

मेरा निवेदन है कि जहां हरिजनों पर एट्रोसिटीज हों वहां के लोगों से सिटीजनशिप छीन लेनी चाहिए नहीं तो ये लोग इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते रहेंगे। आज बिहार, हिसार और पंजाब में बराबर मर्डर हो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात सुनी।

MR. CHAIRMAN : I request hon. Members to be brief because, as was directed earlier, not more than 10 minutes will be allowed to any Member.

Now Shri Ramavatar Shastri.

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) : सभापति महोदय, सामंती पूंजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दूसरे कमजोर वर्गों पर धनी वर्ग, शोषकों तथा अपने को उच्च मानने वाले लोगों की ओर से सदियों से जुल्म और सितम ढाये जा रहे हैं।

इन शोषित वर्गों के लिए यह पूंजीवादी समाज सबसे बड़ा अभिशाप है जिसे उखाड़ फेंके बिना इन कमजोर वर्गों का कल्याण नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरत है जोरदार और जंगजू वर्ग-संघर्ष को अधिक से अधिक तेज कर उनके शोषण-दोहन की व्यवस्था को समाप्त करने की।

कांग्रेस की सरकार हो या जनता पार्टी की, दोनों इस बात में एक रहे हैं कि इसी पूंजीवादी व्यवस्था के ढांचे में रहते हुए अपना शासन चलाते रहें। परिणाम यह हुआ कि शोषक वर्ग का जुल्म शोषितों पर दिन-पर दिन बढ़ता जा रहा है। कौन नहीं जानता कि जनता पार्टी के शासन काल में बिहार के बेलछी, छिपरा, कैली और उत्तर प्रदेश में विश्रामपुर जैसी अमानवीय घटनाएं घटीं और दर्जनों बेगुनाह व्यक्तियों की हत्यायें हो गईं, जो इन्हीं कमजोर वर्ग से आते हैं। कांग्रेस राज में तो उनकी हत्याओं और उन पर जुल्मों का सिलसिला और तेज हो गया है जिसके उदाहरण बिहार के पथड्डा, मध्य प्रदेश के जगदलपुर, अभी हाल में बिहार के पिपरिया, लहसुना-कराई, खगोल थाने के मुस्तफापुर एवं अन्य ग्रामों की पाशविक घटनाएं हैं।

सरकारी आंकड़े यह बतलाते है कि आदि-वासियों, हरिजनों तथा दूसरे कमजोर वर्ग के लोगों की सबसे अधिक हत्यायें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में हुई, जहां कांग्रेस की सरकारें कायम हैं। सन् 1980 में उत्तर प्रदेश में 236, 1981 में 214, 1982 में 208 और 1983 में 202 अनुसूचित जाति के लोग मारे गये। मध्य प्रदेश में 1980 में अनुसूचित जाति के 68 और अनुसूचित जनजाति के 5, 1981 में अनुसूचित जाति के 74 और अनुसूचित जन-जाति के 67, 1982 में अनुसूचित जाति के 88 और 1983 में अनुसूचित जाति के 108 और जनजातियों के 118 व्यक्तियों की हत्यायें की गईं। इसी प्रकार बिहार में सन 1980 में अनुसूचित जाति के 57 और अनुसूचित जनजाति के 5, 1981 में अनुसूचित जाति के 69 और जनजाति के 4, 1982 में अनुसूचित जाति के 72 और अनु-सूचित जनजाति के 5 तथा 1983 में अनुसूचित जाति के 59 और जनजाति के 6 लोगों को मौत के घाट उतारा गया।

इसी प्रकार कांग्रेस-शासित अन्य राज्यों में भी इनकी अनेकों हत्यायें की गई, जिनका उल्लेख समयाभाव के कारण करना संभव नहीं हैं। परन्तु, दूसरी और मार्के की बात यह है कि कम्युनिस्ट एवं वामपंथी दलों द्वारा शासित त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सरकारों की तस्वीर कुछ और है, जिससे परिलक्षित होता है कि दोनों प्रकार की सरकारों का वर्ग-चरित्र क्या है और वे किन वर्गों के स्वार्थों एवं हितों की रक्षक है। त्रिपुरा में सन 1980 में हत्या की कोई भी घटना नहीं घटी। 1981 में वहां केवल 2 अनुसूचित जाति के लोग मारे गए। फिर 1982 में भी कोई घटना नहीं घटी। 1983 साल का भी यही हाल रहा।

पश्चिम बंगाल में 1980 में केवल 9 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जन-जाति के लोग मारे गए। 1981 में वहां 4 हरिजन और 3 आदिवासी, 1982 में 6 हरिजन और 2 आदिवासी तथा 1983 में केवल 3 हरिजन मारे गए। ये घटनायें आंखें खोलने वाली हैं।

अनसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों पर हुए जुल्मों सितम के आंकड़ों का ब्यौरा इस प्रकार है। 1979 में 13,975, 1980 में 13,866 और

[श्री रामावतार शास्त्री]

1981 में 14,3081। इस प्रकार जनता पार्टी के राज की तुलना में कांग्रेसी राज बाजी मार ले गए। इधर के वर्षों में यानी 1982-83 में स्थिति और भी अधिक बिगड़ी है। अपराधों के मामलों में भी उत्तर प्रदेश को प्रथम, मध्य प्रदेश को द्वितीय और बिहार को तृतीय स्थान प्राप्त है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडू, हरियाणा, उड़ीसा, केरल आदि राज्यों की स्थिति भी अपराधों के मामले में गंभीर है। हां, त्रिपुरा में 1979, 1980 में कोई भी घटना नहीं घटी, 1981 में 18, 1982 में 3 अपराध हुए। 1983 में वहां कोई भी अपराध की घटना नहीं घटी। पश्चिम बंगाल में 1979 में 2, 1980 में 33, 1981 में 23, 1982 में 17 घटनाएं घटीं। 1983 में कोई भी घटना नहीं घटी।

व्यवहार में तो शायद ही कोई जिला हो, जहां हरिजन, खेत मजदूरों, आदिवासियों एवं पिछड़े लोगों की जमीन एवं मजदूरी के सवाल को लेकर हत्यायें नहीं की गई हों, उनपर जुल्म नहीं ढाये गये हों, उनकी बहू-बेटियों की अस्मत नहीं लूटी गई हो, उनकी झोंपड़ियों को जला कर खाक नहीं कर दिया गया हो या उनके सामानों की लूट-पाट नहीं की गई हो।

बिहार में भूमिपति बड़े पैमाने पर पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, बेगूसराय, मुंगेर, सहर्षा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, रोहतास, पलामू, रांची, धनबाद आदि जिलों में जमीन और मजदूरी के सवालों को ले कर आन्दोलन करने वाले खेत मजदूरों एवं आदिवासियों पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं, जिसकी ताजा मिसाल पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी थाने के लहसुना, कराई तथा कुछ अन्य ग्रामों में 16-3-84 को हुआ नर-संहार है। होली के एक दिन पूर्व भूमिपतियों ने भूमि-सेना के नेतृत्व में निरपराध हरिजनों और पिछड़ी जाति के यादवों पर बाजार से लौटते समय अस्त्र-शस्त्रों से हमला कर आठ व्यक्तियों की हत्या कर दी। पटना जिले के मसौढ़ी, धनरुआ, पुनपुन, नौबतपुर, विक्रम, पालीगंज आदि थानों में आतक राज्य कायम कर रखा है। नौबतपुर थाने के बहुआरा ग्राम, विक्रम थाने के नरही-पिरही तथा अन्य ग्रामों में उनके हमलों की कहानी आज भी ताजी है।

भूमिपतियों ने भूमि सेना का जाल बिहार के प्रायः सभी जिलों में फैला रखा है और उनकी घोषणा है कि वह कथित नक्सलवादियों से लड़ने के नाम पर संपूर्ण हरिजन समुदाय को नष्ट कर के ही दम लेंगे। यही कारण है कि वे जगह-जगह जमीन और मजदूरी के लिए आंदोलन करने वाले खेत मजदूरों एवं उनके नेताओं पर दिन-दहाड़े हमले कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कुछ दिन पहले पटना विश्वविद्यालय की छात्र यूनियन के भूतपूर्व महासचिव श्री प्रेम चन्द्र सिन्हा की गोली मार कर हत्या कर दी। गया जिले के जहानाबाद सबडिविजन के घासी प्रखंड के सिकरिया ग्राम के राजेन्द्र और बंशी मोची की देवरा मठ के गुंडों ने 1-12-84 को हत्या कर दी।

उन लोगों ने कई ग्रामों में लूटपाट और आगजनी भी की। भूमि सेना के गुंडों ने भवानी चक की दो लड़कियों के साथ बलात्कार किया। नवादा जिले के अकबरपुर थाने के गोपालपुर ग्राम के भूमि पतियों ने 12 वर्षीय उमेश नामक एक लड़के को आग में झोंक कर जिन्दा जला दिया। यह घटना 21-22 जनवरी, 1984 की

हैं। झगड़ा गैर मजरुआ जमीन को लेकर था। इसी जिले के खमारा ग्राम के 85 हरिजनों के घर जला दिए गए। 23.2.84 को श्री तुलसी मांझी की हत्या कर दी गई। पटना जिले के खगोला थाने के दानापुर खगौल रोड पर 22 मार्च को मुस्तफापुर ग्राम के निवासी नाथू राम इंदर पासवान एवं एक अन्य की जघन्य हत्या कर दी गई। मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर नालंदा, गया तथा अन्य जिलों में भी हत्यायें की गई और भूमि सेना के गुंडे सर्वत्र आतंक राज्य कायम किए हुए हैं। पुलिस और सरकारी अधिकारी इसे रोक पाने में नाकामयाब हैं। कहते हैं कि भूमि सेना और अपराध कर्मियों के साथ उनकी मिलीभगत है। जब हरिजन खेत मजदूर भूमि सेना का मुकाबला करने की तैयारी करते हैं तो सरकार उन्हें नक्सलवादी कह कर कुचल देती है जिससे जमींदारों की हिम्मत बढ़ जाती है। बिहार में इतने बड़े पैमाने पर हत्यायें इस कारण हो रही हैं कि राज्य सरकार, सरकारी अधिकारी और पुलिस में भूमि सेना के एजेंट शामिल हैं जो न जमीन का बंटवारा होने देना चाहते हैं न मजदूरी देना चाहते हैं और न उन्हें मनुष्य समझते हैं। उनके साथ उनका व्यवहार जानवरों जैसा होता है। नक्सलवाद की हत्या की नीति के खिलाफ राजनीतिक तरीके से संघर्ष करने की जरूरत है न कि हरिजनों और उनके नेताओं की हत्या करने की।

भूमि सेना और अपराध कर्मियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। कुछ सांसदों, विधायकों एवं राजनीतिक नेताओं के संरक्षण भी उन्हें प्राप्त है जिनमें दुख है कि कुछ विरोधी दलों के सांसद, विधायक और नेता भी शामिल है। इसे समाप्त करने की आवश्यकता है।

जनशक्ति समाचार पत्र जो पटना से प्रकाशित होता है। उसके 24.3.84 के अंक में प्रकाशित निम्न वाक्यों को देखें। इसमें लिखा है—"भूमिसेना का उद्देश्य है सामाजिक न्याय, न्यूनतम मजदूरी के कार्यान्वियन तथा भूमि सुधार लागू करने के लिए खेत मजदूरों और बटाईदारों के आंदोलनों को खत्म करना। दरअसल, धीरे-धीरे उभर रहे वर्ग संघर्ष को कुचलने के लिए सामंती मानसिकता वाले भू-स्वामियों ने इन सेनाओं का गठन किया क्योंकि बदलती स्थितियां उनके शोषण में बाधक बनने लगी है। सरकारी और प्रशासन के परोक्ष-अपरोक्ष संरक्षण के बावजूद सामंती तत्वों को अपने पैरों तले से जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही है। सरकार पर कड़ी गिरफ्त के कारण भूमिसुधार कानून लागू नहीं होते। न्यूनतम मजदूरी भुगतान करने में आनाकानी होती है और इन प्रभावशाली लोगों की चाकरी करने वाला प्रशासनतंत्र भी इनके सामने घुटने टेके रहता हैं। इन सबों के बावजूद ये तत्व अपनी मजबूत स्थिति के खोखलेपन से वाकिफ हैं।"

राजनीतिक हत्यायें भी बड़े पैमाने पर हो रही हैं। बिहार में एक सौ से अधिक नेताओं, कार्यकर्ताओं की हत्यायें की जा चुकी है जिनमें सबसे बड़ी संख्या कम्युनिस्टों एवं अन्य वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं की है। कांग्रेसी एम० एल० ए० राम नगीना सिंह की हत्या भी अभी हाल ही में की गई है, इतना ही नहीं, इस सदन के माननीय सदस्य नगीना राय पर पटना जंक्शन पर बमों से हत्या करने का प्रयास किया गया पर वह बाल-बाल बच गए। गंभीर रूप से घायल होने के कारण उनकी चिकित्सा आज भी चल रही है।

[श्री राम अवतार शास्त्री]

इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए भूमि सुधार कानून को सख्ती के साथ लागू करने की आवश्यकता है। जरूरत इस बात की हैं कि खेत मजदूरों को कानूनी मजदूरी दी जाए। भूमि सेना पर रोक लगाई जाए, केवल हथियार जब्त करने नहीं चलेगा। उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए, हरिजनों एवं, आम लोगों में व्याप्त आतंक राज को खत्म जिया जाए। हरिजनों आदिवासियों के पुनरवास की व्यवस्था की जाए, अपराध कर्मियों को राजनैतिक संरक्षण देना बन्द किया जाए, पुलिस के रवैये को बदला जाए। हथियारों को जब्त किया जाए, सामाजिक-आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। गैर कानूनी बन्दूकों के कारखानों को जब्त किया जाए।

इस प्रकार की हत्याओं एवं आतंक राज को समाप्त करने के लिए जरूरत है वर्तमान पूंजीवादी सरकार के स्थान पर वामपंथी एवं जनवादी सरकार की स्थापना करने की। यथास्थितिवाद से पिंड छुड़ाना होगा, तभी समाज में आमूल परिवर्तन लाया जा सकता है।

श्री भीखा भाई : (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले हमारी प्रधान मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और बीस सूत्री कार्यक्रम को नमन करता हूं, जिन के कारण देश के अन्दर जागृति हुई है। हमारे संविधान के अन्दर जो व्यवस्था अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए की गई है, डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्ज और फाण्डामेन्टल राइट्स के अन्दर जो अधिकार दिए गए हैं उन मूलभूत अधिकारों के कारण हमारे अन्दर यह जागृति आई है जिस से आज हम खड़े हो कर अपनी आवाज को बुलन्द कर सकते हैं। एक जमाना जमीदारों का था, जागीरदारों का था, राजाओं और महाराजाओं का था, यदि उस पृष्ठभूमि से देखें तो आपको याद आएगा कि उस समय ऐसी चीजें सामने ही नहीं आती थीं, कोई भी अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों की आवाज उठा नहीं सकता था, लेकिन आज यह चीज सामने आने लगी है, हमारे लोगों को अपने ग्रीवेन्सेज वेन्टिलेट करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। आज हम अपनी बात को कह सकते है और इसके लिए में इस संसद को, महात्मा गांधी को, जवाहर लाल नेहरू को, देश को उन सभी महान नेताओं को चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, नमन करता है, जिन्होंने हम को बोलना सिखाया है। आज हम अपने लोगों की बात यहां रख सकते हैं।

हमारे देश के अन्दर हरिजनों और आदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या है—उस संख्या के अनुपात से यदि संरक्षण दिया जाता है, राजनीतिक या अन्य प्रकार का संरक्षण दिया जाता हैं तो उससे काम चलने वाला नहीं हैं। वास्तव में हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस के कारण हम पर जुल्म होते है। अभी जैसा श्री रामावतार शास्त्री जी ने कुछ बातें कही है-उन्होंने उन बातों को अपने ढंग से कहा है, पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में कहा, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा की उन्होंने बहुत तारीफ की, में उनकी बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम उन पर होने वाली एट्रोसिटीज को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें राजनीतिक रंग देकर बातें नहीं करनी चाहिए। में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह मानवता का प्रश्न है।

शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रश्न मानवता का प्रश्न है और इस मानवता के प्रश्न के कोई राजनीतिक दृष्टिकोण लेने की आवश्यकता नहीं है। यह ठीक है कि हमारे देश के सभी नेताओं ने मिल कर एक संविधान बनाया और उस संविधान में हमको जो गरीब लोग थे, जो गिरे हुए लोग थे, जो जमीन पर पड़े हुए लोग थे, उस तबके को उठाने के लिए कुछ डाइरेक्टिव प्रिंसपिल्स और कुछ प्रावधान रखे, जिस के कारण आज हम यहां आ कर बोलने की क्षमता रखते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की जागृति हुई है और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है और प्रधान मंत्री के बीस-सूत्री कार्यक्रम के कारण हम आगे बढ़ते जा रहे हैं परन्तु एक बात जरूर है कि जो सामाजिक दृष्टिकोण है, वह नहीं बदला है और सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए सरकार किस हद तक कारगर हो सकती है, यह आप सभी जानते हैं। जब तक सामाजिक संस्थाएं और जब तक विरोधी पार्टी इस काम में हमारे साथ सहयोग नहीं करती, तब तक यह काम संभव नहीं हो सकता।

आज सामाजिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है। आज सामाजिक दृष्टिकोण की सब से बड़ी बात यह है कि हम पार्लियामेंट के सदस्य हैं और अगर हम गांवों में जाते हैं, देहातों में जाते हैं और वहां जा कर लोगों से मिलते हैं, वहां पर लोगों की बातें सुनते हैं, तो हम में कितने ऐसे हैं, जोकि गरीब की झोंपड़ी में जाना पसन्द करेंगे। जब वोट लेने का वक्त आता है, उस वक्त वहां आयेंगे, चाहे इस पार्टी का सवाल हो और चाहे उस पार्टी का सवाल हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने उस सामाजिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाया है, जिसकी राष्ट के लिए आवश्यकता है, इस देश के अन्दर देश-भक्ति के लिए जिस की आवश्यकता है। इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर तबके ऊपर नहीं उठे है। हमारा जो शरीर है, उस शरीर के अगर हाथ और पैर लूले और लंगड़े होंगे, तो शरीर स्वस्थ नही हो सकता, मन स्वस्थ नहीं रह सकता। उसी तरह से मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग भी स्वस्थ नहीं हैं क्योंकि हमारे राष्ट्र के अन्दर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, जोकि कमजोर तबका है। यह ठीक है कि हर प्रकार की योजनाएं बन रही हैं चाहे वह आदिवासी योजना के रूप में हो, चाहे कम्पोनेन्ट प्लान के रूप में हो और चाहे कोई दूसरी विशेष योजना हो। ये सारी योजनाएं चल रही हैं लेकिन इसके बावजूद स्थिति यह है कि हमारी सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं आ रहा है। इसका कारण या तो यह है कि हम जागरूक ज्यादा हो गए हैं और या यह है कि हम ज्यादा चाहने लगे हैं।

18.57 hrs.

(MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

मैं एक बात कहना चाहता था। आदिवासी और हरिजनों के बारे में जब हम बातें कर रहे हैं, उन पर अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं, उनकी बहनों और बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, उनकी जमीनें लूटी जाती हैं, उन के घर जलाए जाते हैं और इस तरह की और बातें होती हैं, जिन को हम हर दिन अखबारों के अन्दर पढ़ते हैं और पढ़ते ही नहीं हैं बल्कि अखबारों से कटिंग्स ले कर रोज हमारे प्रतिनिधि चाहे इधर के हों और चाहे उधर के हों, ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि शैड्यूल्ड

[श्री भीखा भाई]

कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर कितने अत्याचार हुए, कितने मर्डर हुए, कितने जुल्म हुए। अभी रामावतार शास्त्री जी ने ठीक ही कहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में ये जुल्म ज्यादा हुए हैं और बिहार तो इस मामले में सरताज है। मेरे हिसाब से बिहार सरताज है इस मुल्क में, हरिजनों पर ज्यादतियों के मामले में और परेशानियों के मामलों में वह सब से अग्रणी है। बिहार में आप देखिए कि वहां पर देवली कांड से ले कर दूसरे कितने कांड हुए हैं और बिहार में सबसे ज्यादा ज्यादतियां हुई है और जैसा कि कहा जाता है कि एक फल दूसरे फल को देख कर रंग बदलता है, उसी तरह से बिहार में जो कुछ होता है, उसका असर उत्तर प्रदेश में होता है और उत्तर प्रदेश से यह बात मध्य प्रदेश में पहुंचती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो जुल्म हैं, ये जो ज्यादतियों हैं, ये बढ़ती ही चली जा रही हैं, इस में कोई शक नहीं है। इसके आंकड़े दिए गए हैं और अभी रामावतार शास्त्री जी ने आंकड़े दिये और मेरे पास भी आंकड़े हैं लेकिन मैं आंकड़ों में क्यों पड़ूं। मैं खास तौर से मन्त्री महोदय का ध्यान ओपरेस्ड इन्डियां नामक पुस्तक की तरफ दिलाना चाहता हूं। वह पुस्तक उन के पास भेजी थी। इस में लिखा है, इन्डियन स्टेट्स" "एण्ड" दि आपरेस्ट "इन्डिया"। यह अगस्त 1980 का है। इस में फिर लिखा "ट्राइबल इन्डिया"। ट्राइबल इन्डिया का मतलब यह है कि हिन्दुस्तान के अन्दर ट्राइबल्स की क्या हालत है, उनके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि कई जगहों पर उनके खिलाफ ज्यादतियां हुई हैं। अभी मेरे मित्र श्री रामावतार शास्त्री जी कह रहे थे कि बंगाल में सब ठीक है। मैं कहता हूं कि बंगाल में ठीक नहीं है। इस में एक न्यूजआइटम है, जिसका हैडिंग है, "बंगाल ट्राइबल्स प्रोटेस्ट एगेन्स्ट गवर्नमेंट निगलेक्ट"। "आपरेस्ड इन्डिया" अगस्त का संस्करण है हैं और उस के अन्दर यह लिखा हुआ है। उसी तरह से यह लिखा हुआ है कि भील की स्त्रियों पर जुल्म हुआ है, बलात्कार हुआ है। और एक औरत के साथ 165 दिन तक बलात्कार हुआ है। इसी तरह से यह लिखा हुआ है "माइनर ट्राइबल गर्ल्स रेप्ड इन 80"। इस प्रकार के कई उदाहरण इस में दिए हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता था कि इस का हल केवल यही है कि समाज के अन्दर सरकार और प्राइवेट संस्थाएं इस बात का प्रचार करें कि ऐसी बुराईयां नहीं होनी चाहिए और सरकार उन की आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात करे। जब ऐसा होगा तो ये अत्याचार और ये जुल्म रोके जा सकते है। इस के अलावा मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे केसेज के ट्राइल के लिए स्पेशल कोर्ट्स हों और वे शीघ्रता से ऐसे मामलों को निपटाएं और ऐसा जुल्म करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।

आंकड़ों की जो बात है, वे काफी दिए जा चुके हैं और हमारी लोग सभा में और राज्य सभा में बराबर इसके आंकड़े प्रस्तुत होते रहते हैं लेकिन मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक अलग से मंत्रालय स्थापित किया जाए। अगर ऐसा किया गया, तो यह सब से अच्छा काम होगा और आदिवासी और हरिजन

लोग हमेशा सेठी साहब को याद करते रहेंगे कि हमारे गृह मंत्री इतने बहादुर बने, जिन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्प ट्राइब्स के लिए अलग से एक मंत्रालय स्थापित किया।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो में आप से बिनती करूंगा कि आप क्योंकि मुझे 10 मिनट ही दे रहे हैं, इस लिए बीच में डिस्टर्ब में न हूं, तो अच्छा होगा। 10 मिनट में कोई भाषण नहीं दिया जाता है और मैं दो-तीन बातें ही कहना चाहता हूं। पहले तो मैं भाई राम विलास पासवान जी को और श्रीमती प्रमिला दंडवते जी को, जो इस समय यहा पर नहीं हैं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे यह प्रस्ताव यहां पर लेकर आए और बहस का अच्छा अवसर दिया।

श्रीमन्, अखबारों में एक लम्बे अर्से से हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें सुनने को मिलती थीं। हम ही नहीं सुनते थे बल्कि सरकार में बैठे लोग और हमारे माननीय गृह मंत्री जी को भी रोजाना अखबार पढ़ने को मिलते होंगे और वे इन के बारे में सुनते भी होंगे। में यहां सदन में भी जब कभी बैठता हूं, तो इनकी चर्चा होती है और सदन की प्रोसीडिंग्स को देखने का जब मौका मिलता है और मंत्री जी के जवाब को जब देखने का मौका मिलता है, तो निश्चित रूप से यह ताज्जुब होता है कि यह सरकार और इस सरकार में बैठे लोग यह जानते हुए भी कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, इस तरह की घटनाए हो रही हैं, जिन को छिपाया नहीं जा सकता, इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जिन को कम नहीं किया जा सकता और वे निरन्तर बढ़ रही हैं, उस के बावजूद भी खामोश हैं। उसके बावजूद भी सरकार उदासीन है और उन को रोकने में सरकार कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। मैं जानता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी जब जवाब देंगे, तो कहेंगे कि हम ने यह किया और हम वह किया। अगर उन्होने इस के बारे में कुछ किया है, तो फिर ये ज्यादतियां बढ़ती क्यों जा रही हैं। यहां पर सदन में आंकड़े पढ़े जा चुके हैं और शास्त्री जी ने भी पढ़े और राम विलास पासवन जी ने भी पढ़े। इस लिए में उनको दोहराना नहीं चाहता। में जानना चाहता हूं कि इन को रोकने के लिए आपने क्या उपाय किये हैं। अखबारों में जो घटनाएं छपती हैं, अखबारों के अलावा बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं, जो अखबारों तक नहीं पहुंच पाती, हम और आप तक नहीं पहुंच पाती और यहां इस सदन तक नहीं पहुंच पाती।

एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि हरिजनों और आदिवासियों पर जो अत्याचार होते हैं, उन के लिए जो लोग थानों में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, तो वहां पर रिपोर्ट भी लिखी नहीं जाती हैं। अभी एक भाई ने कहा कि अस्प्रश्यता निवारण विधेयक जो है, उस को प्रभावी बनाने पर विचार हो रहा है। इस इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी सदन में जवाब देते हुए यह बताएं कि कितनी रिपोर्ट अस्पृश्यता के सम्बन्ध में किन किन प्रदेशों में लिखी गई ?

क्या आज अस्पृश्यता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खानपान तो दूर की बात है, आज भी स्वर्णों के सामने हरिजन

[श्री रांम लाल राही]

अपनी ही खाट पर नहीं बैठ सकता है। अगर वह खड़ा नहीं होता हो तो यह बेग्रदबी होती है और पुलिस से या सामंत के गुंडों से उसको पिटवाया जाता है। यह कोई एक घटना नहीं हैं। बड़ी अच्छी बात है यदि आप अस्पृश्यता निवारण कानून में संशोधन लाते हैं। इसको सुधारिए, कुछ उपाय कीजिए जिससे अस्पृश्ता दूर हो।

श्री सुन्दर सिंह : (फिल्लौर) मेरा प्वांइट आफ आर्डर है। ये तकलीफें सुना रहे हैं जो हम सुन चुके हैं। कोई उपाय भी तो बताएं।

(व्यवधान)

श्री राम लाल राही : वह भी मैं बता रहा हूं। हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में मैं गृह मंत्री जी को बहुत चिट्ठियां लिखता हूं और उनका जबाव भी मुझको मिलता है कि राज्य सरकार को लिखा गया है। लेकिन राज्य सककार से कोई जबाव नहीं मिलता। वहां के मंत्री और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इसको मजक समझते हैं। वहां पर लगता है आपका कोई प्रभाव नहीं है। **(व्यवधान)** मैं अखबार का नाम नहीं लूंगा, एक अखबार ने आपकी तस्वीर छापी थी। उसने लिखा है कि आपकी हैसियत क्या है। आपका मंत्रीमण्डल में क्या प्रभाव है। आपको भी देखना चाहिए। क्यों इस तरीके की बातें आज की जा रही हैं। मैं भी इस सदन का सदस्य हूं और जिन लोगों ने चुन कर भेजा है, उनकी बात करता हूं। मैं जिस दिन चुना जाता हूं उसी दिन कह देता हूं कि मैं अब पार्टी का व्यक्ति नहीं रहा, में जनता का व्यक्ति हो गया हूं। आप में यह फर्क है। आपकी सरकार का काम करने का तरीका अलग है। आपके यहां क्या होता है। आप यह देखते हैं कि कौन कह रहा है। आप यह नहीं देखते कि क्या कहा जा रहा है। जिस दिन आपकी सरकार तय कर ले कि समस्या क्या लाई जा रही है, उसी दिन से समस्याओं का हल होना शुरू हो जाएगा।

आज हरिजनो पर अत्याचार हो रहे हैं। आजकल एक बड़ा मीठा तरीका निकाला गया हैं हरिजनों पर अत्याचार करने का, "स्वीट प्वाइजन" इसको कहा जा सकता हैं। आज बड़े लोग क्या करते हैं कि हरिजनों के नाम मे बैंकों से, कोआपरेटिव सोसायटियों से और दूसरे संसथान जहां से कर्जा मिलता है, उनके नाम मे कर्ज निकाल लेते हैं सरकारी कर्मचारियों से मिल कर। 10-15-25 हजार रुपया उनके नाम से निकाल लिया जाता है। उनको तब पता चलता है जब 3 साल बाद नोटिस उनके पास पहुंचता है। जब तीन साल बाद कुड़की उनके पास पहुंचती है।

जब कुर्की हो जाती है तब उनको पता चलता है। पिछले तीन सालों में यह नयी चीज पैदा हुई है। आप इसको रोक नहीं पायेंगे। मंत्री जी जब जवाब देंगे तो यही कहेंगे कि मैंने कमाल कर दिया। आपकी जानकारी में यह बात अवश्य होगी। मैं पूछना चाहता हूं मुठभेड़ में कितने लोग मारे गए हैं? क्या यह सही नहीं है कि जितने एनकाउन्टर हुए हैं उनमें दो-तिहाई हरिजन हैं। क्या इस देश में दो-तिहाई हरिजन नहीं हैं? फिर, कैसे इतने हरिजनों का एनकाउन्टर होता है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सामन्त और पुलिस प्रशासन पर आपका बस नहीं है। ये दोनों मिलकर गांव का प्रशासन चलाते हैं और जब चाहें हरिजन को मार दें और जितने दिन चाहें उसे जिन्दा रखें। वहां

कौन है, क्या हो रहा है, इसका आपको कुछ पता नहीं है। आप सिर्फ थानेदार पर निर्भर करते हैं। नागपुर केन्टोन्मेंट की घटना आपको बताना चाहता हूं। वहां चार-पांच सौ गरीब हरिजनों ने उबड़-खबड़ जमीन पर पैसा लगाकर पैदावार की। जब उनकी पैदावार होने लगी तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां जाकर उनकी झोपड़िया उखाड़ दी और कब्जा कर लिया। इस बारे में मैंने प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी को लिखा था।

मुझे पता है, उन लोगों से जमीन छुड़ावा ली गई। मेरे पास मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और दौलतपुर कस्बे के लोगों की फोटो है। इनके साथ भी वही ज्यादती हुई। वहां पर लडकी के पचास घरों को वन अधिकारियों को ले जाकर तोड़ दिया गया। रोते-बिलखते बच्चों की कोई सुनवाई नहीं होती। कोई औरत हाथ जोड़ती है तो उसको लात मारकर भगा दिया जाता है। यह आपके प्रशासन का काम है। कोई कानूनी कार्यवाही नही होती। मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े पूंजीपति या भू-स्वामी किसी जगह पर कब्जा कर लें तो उसको जस्टीफाई कर दिया जाता है। एक गरीब आदमी नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद सैकड़ों सालों से लोग रह रहे हों, क्या कभी उसको जस्टीफाई किया है ? आपने उनको इंदिरा जी की या संजय गांधी की जय बोलने पर विवश कर दिया। बहुत सी जगहों पर तो जय बोलने पर भी कुछ नहीं किया गया। पिछले 37 सालों में जातीय आधार बहुत मजबूत हुआ है। जब तक इसको तोड़ने के उपाय नहीं करेंगे तब तक साम्प्रदायिक दंगे होते रहेंगे। सामन्त लोगों के शिकार छोटे घराने के लोग होते रहेंगे, उनको आप बचा नहीं पायेंगे।

मैं चार्ज करता हूं कि 37 सालों के राज्य में, चाहे जो जितने दिन बैठा हो, उसने इसको मजबूत किया है, इसे तोड़ा नहीं है। उसने इस जातीय आधार को अपनी सत्ता कायम रखने के लिए इस्तेमाल किया है। जब टिकट देना होता है तो कहने लगते हैं कि इस क्षेत्र में कौन लोग ज्यादा हैं ? आपने जातीय आधार को मजबूत किया है, मैं निवेदन करूंगा कि इस जातीय आधार को आपको तोड़ना पड़ेगा। इसमें प्रसाशन का ज्यादा हाथ नहीं है, इस जातीय आधार को मजबूत करने में राजनेताओं का ज्यादातर हाथ है। राजनेता लोग पहले अपने को सुधारें क्योंकि इसके सहारे ही इलाके में सामन्तवाद पलता है। मैं आपको इंगित कर के नहीं कहता हूं, यह एक सार्वजनिक बात है। चाहे इधर के बैठे हुए नेता हों या उस तरफ के हों, यहां आकर भाषण देंगे कि जातीय- विहीन समाज बनना चाहिये, जब यहां आयेंगे तो कहेंगे कि 40 सीटों में 20 हमारी जाति की हैं और 20 में आप सब हो जायें।

हरिजनों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय को दबाने में सफलता न मिलने का सबसे बड़ा कारण जातीय आधार है। हमें इसको कमजोर करना होगा। इसको कमजोर करना होगा। इसको कमजोर शासन या प्रशासन नहीं कर सकता है, राजसत्ता में बैठे हुए लोगों को करना होगा। उनको अपनी बात सफाई से कहनी पड़ेगी।

आज हम यहां सदन में बैठे हैं, हमारे शास्त्री जी समझते होंगे कि भाइ पासवान ने सही बात कही थी, लेकिन में कहना चाहता हूं कि पंजाब लड़ रहा है, लोंगोवाल लड़ रहे हैं और कह कह रहे हैं कि हमको 2 नम्बर

[श्री राम लाल राही]

का नागरिक माना जा रहा है, लेकिन एसा नहीं है। सत्य यह है कि इस देश में 37 साल में आपने हरिजनों को नम्बर 2 का नागरिक बना रखा है। आपको इस भावना को बदलनी होगी तभी काम चलेगा।

श्री हीरा लाल आर० परमार (पाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री श्री बूटा सिंह जी का आभारी हूं कि 22 करोड़ दलितों की समस्या पर उन्होंने यहां चर्चा का मौका दिया।

मैं एक बात खास दोहराना चाहता हूं। मैं 150 घर की आबादी वाले गांव से आता हूं जिसमें मेरा चमार जाति का एक ही घर है। मेरे अपने 3 वोट हैं, फिर में इस सदन में आया, किस नाम पर आया और किस बात पर आया यह में बतलाना चाहता हूं, हलांकि सब को पता है।

देश की आजादी के टाइम पर देश के दलितों के हक और रक्षा के लिए और इनकी बातों को समझने के लिए, बल्कि इन लोगों को न्याय दिलवाने के लिए डा० अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण दिया है। मैं 3 वोट वाला आदमी, अगर आरक्षण का अधिकार न मिला होता, तो आज यहां नहीं पहुंच पाता। 22 करोड़ दलितों के प्रतिनिधि के नाते मैं उनके हक और अधिकारों की रक्षा के लिए इस सदन में आया हूं इसलिए में अपनी आत्मा की आवाज को नहीं रोक सकता। मेरी आत्मा की आवाज यह कह रही है कि जिन लोगों के प्रतिनिधि के नाते में आया हूं उनकी समस्या और जो बीमारी है उसे मरीज के नाते अगर हम डाक्टर के सामने पेश नहीं करेंगे तो गलत आपरेशन हो जाएगा। और वह बीमारी भी नहीं मिटेगी। मंत्री महोदय डाक्टर है और हम मरीज हैं। उनसे बीमारी को छिपाना हमारे लिए ठीक नहीं है।

प्रधान मंत्री ने गरीबों को ऊपर उठाने के लिए बहुत से कार्यक्रम बनाए हैं और वह हमारे लिए चिन्तित हैं। इस सामाजिक समस्या ने कितना उग्र रूप धारण किया हुआ है, यह इस बात से प्रकट है कि आजादी के 36 साल के बाद भी देश के गांव-गांव में दलितों की हत्याएं हो रही हैं। में गुजरात में अहमदाबाद के स्थित एक छोटे गांव जेतलपुर का उदाहरण देना चाहता हूं।

जेतलपुर में गरीब हरिजनों को जमीन देने की बात थी। कुछ गवर्नमेंट अधिकारी और गांव के लोग उन्हें परेशान कर रहे थे। जब एक दलित लड़के ने इस गे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, तो ग्राम पंचायत के दफतर में दिन-दहाड़ उसको जिन्दा जला दिया गया। दलितों की हत्या के बाद पहले तो केस दर्ज नहीं होता और अगर केस दर्ज होता है, तो कोर्ट में गवाही नहीं मिलती, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त छूट जाते हैं। जैतलपुर की घटना के चार अभियुक्तों को आजीवन कैद की सजा दी गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार और जातिवाद क्या कर रहे हैं। सब अभियुक्तों को एक साल के 365 दिनों में से 218 दिन या उस से भी अधिक समय के लिए पेरोल पर छोड़ दिया जाता है और वे लोग आज बाहर घूम रहे हैं। मैंने गुजरात के गृह मंत्री, श्री प्रबोध रावल से पूछा कि वे लोग कितने दिनों से बाहर हैं। पहले तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जब मैंने हाउर में प्रशस उठाया, ती उन्होंने

लिख कर बताया कि एक अभियुक्त को 218 दिन, दूसरे को 215 दिन, तीसरे को 220 दिन और चौथे को 230 दिन के लिए पेरोल पर छोड़ा गया है और अभी भी वह लोग जेल से बाहर हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दलितों की हत्या करने वाले लोगों को सजा दिलवाना भी कठिन है। लेकिन अगर सजा होने के बाद उन्हें जेल में नहीं रखा जाएगा, तो फिर दलितों की रक्षा कैसे होगी ?

मेरे क्षेत्र में ग्यारह महीने पहले मेरे साथी और सहयोगी, श्री अर्जुभाई दुलाभाई परमार की हत्या कर दी गई, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, न्याय पंचायत और पुलिस की कोआर्डिनेशन कमेटी के सदस्य थे और कोआपरेटिव सोसायटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने डी० एस० पी० को चार वार कहा कि जमीन की तकरार में लोलाडा गांव, तहसील समी, जिला मेहसाना के लोग मुझे मार डालेंगे, मेरी रक्षा की जाए। लेकिन उनकी रक्षा के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। कोर्ट में कैस गया और जब वह गवाही दे कर निकले, तो कोर्ट के सामने ही उनको मार दिया गया।

मैंने माननीय गृह मंत्री को तीन दफा और प्रधान मंत्री को भी लिखा हैं कि वहां पर तीन हत्याएं हुई हैं, वहां के डी० एस० पी० मि० पटेल, को हटाया जाए। लेकिन कोई सुनता नहीं है। उसकी ट्रांसफर भी नहीं होती है।

यह मैं अपने दिल का दर्द सदन के सामने रख रहा हूं। अगर हम अपनी बीमारी डाक्टर को नहीं बतायेंगे, अगर गरीबों के प्रतिनिधि गरीबों की बात सदन के सामने पेश नहीं करेंगे, तो वे अपना फर्ज कैसे पूरा करेंगे जब चुनाव आते हैं, तो सब दलों के लोग गरीबों की बात करते हैं। लेकिन आज जब गरीबों की समस्या पर डिसकशन हो रहा है, तो मैं देख रहा हूं कि सदन में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्यों के अलावा सिर्फ छः सदस्य और दिखाई दे रहे हैं। हम अपनी बात किसको सुनाएं ? मंत्री महोदय ने हम लोगों को इस समस्या पर डिसकशन का मौका दिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यह समस्या बड़ी गंभीर और कठिन है। मैं बार-बार कह चुका हूं कि गुजरात में दलित लोग चारपाई पर नहीं बैठ सकते कुंए से पानी नहीं ले सकते, मंदिर नहीं जा सकते हैं। कानून बहुत बनाये हैं, लेकिन कानून का अनुपालन करने वाले जो लोग हैं, उनकी वजह से जातिवाद ज्यादा भड़क रहा हैं। मैं एक बात आपको दिल से कहना चाहता हूं। एक साल या दो साल का लड़का बचपन में अपनी मां के साथ बिना कपड़ों के सो सकता है, लेकिन 25-26 साल की उम्र हो जाने के बाद यदि कोई कहे कि तुम अपनी मां के साथ सो जाओ, तो क्या यह उचित है। देश के दलित 36 साल की आजादी के बाद अपना स्वाभिमान समझते हैं इसलिए अब इस प्रकार की बात से आग भड़केगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको गम्भीरता से देखिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री सुन्दर सिंह : (फिल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सदन में भाषण दिये, समझ में नहीं आता है कि ये सुना किसको रहे हैं। किसी को किसी ने मार दिया, मैं उनसे कहता हूं कि तुम क्यों नहीं मर गये। जिसके इलाके में जुल्म होता है, वहां होम

[श्री सुन्दर सिंह]

मिनिस्टर क्या करेगा। (व्यवधान) इन्दिरा जी ने कह दिया है कि इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा और लड़ाई करनी चाहिए। यहां आकर बातें बताते हैं, यहां क्या होगा। राही चला गया है, वह कहता है कि इतने मर गए, इनकी बातें सुनते-सुनते तो मेरा हार्ट-एटैक हो जाएगा। जिसके इलाके में कोई मरता है, वहां का मैम्बर क्यों नहीं मर जाता है। मैं बड़ा हैरान हूं, किस तरह से समस्या को सोल्व करते हैं। पासवान जी भी बड़ा अच्छा बोलता है, आंकड़े रखता है। यदि मैं इसके आंकड़े सुन लूं तो मैं मर जाऊंगा। मेरे इलाके में भी बड़े-बड़े जमींदार हैं, राजपूत हैं। एक दफा वे हमारी जमीन पर ट्रैक्टर ले आए, लेकिन मेरा एक आदर्श रहा है, जो मार खा कर आता है, मैं उसको मारता हूं और जो मारकर आता है, मैं उसकी मदद करता हूं।.... (व्यवधान)... चौधरी साहब हुआ यह कि ट्रैक्टर फूंक दिए, उनको पकड़ लिया और हमारा जमीन पर कब्जा रहा। यह जमीन कौन देगा, क्या कागज देगा। कागज में भी जाट है, वे क्या जमीन देंगे।... (व्यवधान) यदि मैं कुछ कहूंगा तो तुम्हारा काम भी खराब हो जाएगा। सरदार प्रतापसिंह कहने लगा कि हरिजनों को दूंगा, हरिजनों को दूंगा, लेकिन देना कुछ भी नहीं है। एक जगह भी मीटिंग कर ली और कह दिया लेकिन दे किसी को नहीं रहे हैं। मैंने कहा चौधरी जी सरदार प्रताप सिंह यह कह रहा है और वहां किसानों को बुलाकर कहा है। मैंने पण्डित जवाहर लाल जी से कहा कि यह बात है। मुझे वहां रहने का कोई हक नहीं है। जमीन के बगैर नहीं रह सकता हूं, कोई भी नहीं रह सकता है।

मैं पाकिस्तान में 100 एकड़ में काश्त करता था और मुझे पता है जिसके पास जमीन होती है उसके पास लाठी होती है, वह खुद अपनी जमीन की हिफाजत करता है। जब प्रताप सिंह कैरों को मैंने रगड़ा दिया तो उसने मेरे पास एक आदमी भेजा और कहलाया कि चौधरी साहब, मैं आपको फुल-फलेज्ड मिनिस्टर बना देता हूं, मेरे से लड़ाई बन्द कर दो। पण्डित जी मेरे दोस्त थे, इसलिए मैं उसकी क्या परवाह करता, मैंने उसके आदमी को कह दिया—उसको जाकर मेरा यह पैगाम दे दो, मैं चमार नहीं हूं, आदमी हूं। उनसे कहो कि वह जमीन की बात करे, अगर मिनिस्ट्री की बात की तो ठीक नहीं होगा। इस तरह से हमने जमीन ली। हमने जमींदारों से लड़कर अपनी जमीन ली है। जाहिर बात है—हम जमीन के बगैर नहीं रह सकते हैं, हमको जमीन जरूर चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता है कि जो आपके यहां असेम्बली के मेम्बर हैं वे लड़ाई क्यों नहीं करते हैं। अगर उनकी सरकार नहीं करती है तो उसको सरकार तोड़ दो।

आप क्या समझते हैं—क्या ये लैंड रिफार्म करेंगे? ये कभी भी लैंड रिफार्म नहीं करेंगे। कांग्रेस वालों की यह पालिसी है—बड़े-बड़े बढ़िया रेज़ोल्यूशन पास करते हैं लेकिन इम्प्ली-मेंटेशन किसी का नहीं होता। आपको असेम्बली का मेम्बर बना दिया, पालियामेंट का मेम्बर बना दिया, लेकिन आप लड़ाई नहीं कर सकते तो इस मेम्बरी का क्या फायदा है? जितने मेरे हरिजन भाई यहां है, उनकी काफी तादाद है सबको एकमत से मिलकर इस काम को करना चाहिए। सबको मिलकर इस काम में सेन्ट्रल गवर्नमेंट की सिम्पैथी लेनी है। इसलिए मैं कहता हूं कि लैंड रिफार्म की बात छोड़ो, मिलकर जमीन हासिल करो।

बागड़ी साहब बहुत नेक आदमी हैं, दिल से बोलते हैं। चाहे इनकी बात जमींदार न

मानें: लेकिन दिल से बोलते हैं। जो आदमी दिल से बोलता है, पता लग जाता है जहां बेइन्साफी होती है, वहां बोलना चाहिए, मिनिस्टर की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। आप कहते हैं कि वहां यह हो गया, वह हो गया, वे हमको चारपाई पर भी नहीं बैठने देते। मेरे साथ भी शुरू में ऐसा हुआ था, मैंने कहा कि मैं तुमको भी नहीं बैठने दूंगा। जब मैंने ऐसा किया तो भागे हुए आये, कहने लगे, महाराज, रोटी भी खाओ, आपको चारपाई भी मिलेगी। इसलिये मैं कहता हूं कि अपने हक के लिये गांव में लड़ाई करनी चाहिए।

आप गांवों में जाकर बात नहीं करते हैं, यहां आकर बात करते हैं। यह बिल्कुल गलत हैं। आपको चाहिए कि हरिजनों को कहें कि वे शादी न करें। हमारे नौजवान ऐसे शानदार और तन्दुरुस्त होने चाहिए जिससे कि उनकी तरफ कोई आंख उठा कर न देख सके।

न जमीन, न दुकान, न आसमान, भारत माता जिन्दाबाद। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो भारतमाता जिन्दाबाद ही होगा, और क्या हो सकता है।

हमारे पाकिस्तान में दो-तीन सौ आदमी रह गये हैं। जब से पाकिस्तान बना, तब से बहुत सारे परिवार तो यहाँ आ गए लेकिन अभी भी-दो तीन सौ परिवार वहां है। उनको वहां वाले तंग करते हैं। मैं सेठी जी से कहूंगा कि बराए मेहरबानी उनको यहां आने दो, वे यहां आना चाहते हैं। वे वहाँ शादी कैसे करेंगे? आप इन दो-चार सौ घरों का ख्याल करो जो वहां रह गए हैं।

बाकी रही लेण्ड रिफार्म्स की बात इसको तो जमीदार लोग होने नहीं देंगे। आप कहते हैं कि आपका राज कांग्रेस से अच्छा था तो मैं आपको आको बताऊं कि आपके लोगों के पास, जनसंघ वालों के पास, दो-दो, तीन-तीन, सौ एकड़ जमीन है। ये जमीदार लोग लेण्ड रिफामर्स नहीं होने देंगे। अगर शुरू से लेण्ड रिफार्म्स हो जाता तो हो जाता। यह भूमि सेना बनी हुई है, यह भूमि सेना भी कुछ नहीं करेगी।

मेरा आप से एक यह सुझाव है कि आप हरिजनों को पुलिस में भर्ती करो। पुलिस में भर्ती करवाने के लिए, मैंने उनकी एक इंच छाती कम और एक इंच ऊंचाई कम रखवाई थी। अब दूसरी गवर्नमेंट आ गई है, उसने यह बंद कर दी है। मैं फिर इस गवर्नमेंट से मिल कर आया हूं जिससे कि हरिजनों की पुलिस में भर्ती हो जाए।

हरिजन हिन्दुस्तान के बहुत अच्छे लोग हैं और पक्के नेशलिस्ट्स हैं। इनको मेहरबानी करके पुलिस में भर्ती करो। जो हमारे सिख भाई हैं ये भी बहुत शानदार आदमी हैं, ये भी बहुत अच्छा काम मरते हैं। हरिजन भी इसके जैसा अच्छा काम कर सकते हैं। फिर इनके हाथ से जमीन भी नहीं निकलेगी।

ये दो सुझाव मेंने आपको दिए हैं ये आपको याद रखने चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए जो आदमी इस बात की कोशिश करता है कि हरिजनों का कोई भला न हो, उस आदमी को ऊपर नहीं उठने देना चाहिए। आप जा कर गांवों में जोर लगाओ।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. C. SETHI) : Sir, I am thankful to the hon. Members, Shri Ram Vilas Paswan and others, for raising this discussion More than 13 or 14 hon. Members have participated.

As far as crimes against Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned, this is a social evil which is coming on since centuries. But people like Mahatma Gandhi, Dr. Ambedkar and many others tried to remove this through their own efforts; they even staked their lives for the removal of this black spot on our society.

The problem of crimes against Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the question of protecting them have been continuously engaging the attention of the hon. House, the Central Government and the State Governments. This stems out of the fact that the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are particularly in a weak and vulnerable position and hence they deserve special consideration. In pursuance of this policy, comprehensive guidelines were formulated for effectively dealing with such crimes and communicated to the State Governments for necessary action. In pursuance of these guidelines, the State Governments have taken a number of measures; the important ones among them are as follows :—

Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Tamil Nadu have set up special courts to ensure quick trial.

Many States have already accepted scale of relief and . compensation recommended by the Commission of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the victims of crimes. Some of the States have drawn up their own rates of compensation.

Bihar has set up eleven police stations and Madhya Pradesh seven for exclusively registering cases of crimes against Scheduled Castes. But here I admit that unless in these police stations which are meant for registering cases of crimes against these communities there are such officers who either belong to these communities or are helpful towards them, the matter is not going to be solved by only setting up police station.

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : जो आपने हरिजनों के थाने बनाये हैं उनमें जितनी पोस्ट्स होनी चाहिएं, उतनी पोस्ट्स नहीं हैं। उन थानों में सक्षम लोग भी नहीं हैं। जो केस जनरल थानों से वहां ट्रांस्फर होकर आते हैं उनकी पूरी छानबीन नहीं हो पाती है क्योंकि वहां पर्याप्त और सक्षम लोग नहीं है। आप उन थानों को प्रभावी बनाइये जिससे कि हरिजनों को न्याय मिल सके।

SHRI P. C. SETHI : I agree with the hon. Member that there should not be only police officers who either belong to these communities or are sympathetic towards them, but there should be sufficient strength in the thana which the other thanas have got.

In most of the States, state level Committees under the Chairmanship of Chief Minister have been set up to look after all the aspects concerning the welfare of Scheduled Castes as well as Scheduled Tribes.

The States of Bihar, Gujarat, Haryana, Karnataka, Punjab, Madhya Pradesh and Maharashtra have already identified a total of 48 districts as senstive from the point of view of crimes against Scheduled Castes.

Whenever any news item appears about atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes or any hon. Member of Parliament brings to the

notice of my Ministry any specific instance, we immediately bring the matter to the notice of the concerned State Government for bringing the culprits to book and also for taking rehabilitative measures for the victims and members of their families.

Efforts are also made to expedite the prosecution of the major cases of crimes against Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Some such cases are on the incidents of Bishrampur (Bihar), Kafalta (Uttar Pradesh), Jetalpur (Gujarat), Palpur (Uttar Pradesh) and Pipra (Bihar). In recent times, in seven such major cases, two of the culprits have already been sentenced to death, 136 sentenced to life imprisonment and eight sentenced to two years' rigorous imprisonment.

There is a close linkage between the economic plight of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the atrocities and social disabilities which they are subjected to. The Government. therefore, attach the highest priority to the development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The States formulate and implement the Special Component Plans and Tribal Sub-Plans for the development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, respectively. The Sixth Plan target is to enable at least 50 per cent of these families to cross the poverty line.

This is also included as point No. 7 of the Prime Minister's new 20 point programme. The total outlay in the Special Component Plan of the States for the Sixth Plan period is Rs. 4483 crores and the total outlay of the Tribal Sub Plans of the States during Sixth Plan period is Rs. 3504 crores. In addition to this the Central Assistance to SCPs and TSPs. The total of such Central assistance is more than Rs. 1000 crores for the Sixth Plan period.

The hon. Members are aware that apart from these massive investments during the Sixth Plan period, we have a number of centrally sposored schemes for the educational and allied development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The most important of these centrally sponsored schems is the scheme of Post-Matric Scholarships to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The number of awards is increasing year after year. In 1980-81, was 5.65 lakhs and during the year 1983-84, the estimated figure of awards has gone upto Rs. 8.11 lakhs. The amount of central assistance which was Rs. 10.76 crores in 1980-81 has gone upto Rs. 32 crores in 1983-84. A provision of Rs. 39.88 crores has been made for this scheme during 1984-85. Under another centrally sponsored scheme called the 'Coachidg and Allied Schemes' 62 coaching centres have been set up in the country, and over 775 candidates who got coaching from these Centres have been appointed in the IAS/IPS and other Central Services in all these years. In 1981, the number of successful candidates was 31 which increased to 65 in the year 1982. The final results of 1983 examinatson are yet to be announced. Still I would agree that in Class I and II Services the percentage of enrolment of these candidates is not according to the quota and that is why the backlog is there...

SHRI RAM VILAS PASWAN : And categary III also. And if you combine both Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it is not 22%; it is only 16%.

SHRI P. C. SETHI : Therefore, in order to fulfil the backlog we carry over the backlog for 3 years and we are trying our best to fulfil. We have also written—my predecessor—has written to all the States to see that this target is completed and the backlog is completely removed.

I must thank the hon Members who participated in to-day's discussion. As I have already said earlier, there is a close linkage between atrocities on the people belonging to Scheduled Castes

[Shri P. C. Sethi]

and Scheduled Tribes and their economic backwardness. The stratage therefore is to be a composite one. The schemes for socio-economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be implemented seriously and at the same time it is necessary to ensure that a durable climate of harmony prevails all over the country. The Government is taking all possible measures in this national endeavour. I appeal to the non Members of all parties and the general society to extend their help and cooperation in this matter.

Besides this I would like to point out certain points which have been raised by the hon. Members. Shri Ram Vilas Paswan has raised the matter of Deoli and Sadhulpur in Mainpuri District of UP. Investigations have been completed and charge-sheets have been submitted. The cases were now under trial in the courts. In both these villages families of victims have been rehabilitated, compensation paid and houses have been reconstructed.

श्री सूरज भान : यह ठीक नहीं है नेता जी। साधोपुर में एक भी मकान नहीं बना है। देवली में 11 में से 6 बने है।

SHRI P. C. SETHI : This information I have got from the State Government.

श्री सूरज भान : आप इनकी जानकारी कीजिए।

SHRI P. C. SETHI : The whole of the village has been covered under the economic progrramme. I have noted down all the names which have been mentioned by the hon Members. Although it is not possible for me to go into each individual case, I will certainly make inquiries from the State Government. In the Kafalta case, the State Government has gone in appeal against the order of the acquittal of the accused. The appeal is pending before the Allahabad High Court.

श्री सूरज भान : मैंने एक केस बताया था जिसमें मां और बेटे को नंगा करके एक दूसरे पर डाला गया। उसकी सी० बी० आई० द्वारा इन्क्वायरी होनी चाहिए।

SHRI P. C. SETHI : As far as C.B.I. enquiry is concerned, we have to write to the State Government according to the procedure and only when their consent comes, we can take over the case.

As far as I am concerned, I am prepare to have the C. B. I. enquiry.

श्री मनी राम बागड़ी : उ० प्र० के मुख्य मन्त्री ने किसी हरिजन की जमीन पर कब्जा किया हुआ है अगर उसको ही लिखेंगे तो क्या फायदा होगा ?

SHRI P. C. SETHI : This should be brought to the notice of the hon. Prime Minister. As far as the post of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned, we have already selected the officer. He is to take charge. I am sorry that the delay has taken place in getting the officer. But this is a necessity which should be there. This is going to be fulfilled. I again thank the hon. Members for their speeches.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Are you replying for any clarification ? I shall allow one by one.

SHRI RAM VILAS PASWAN : I have written to you.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I allow you.

श्री हीरालाल आर परमार : मैंने पेरोल के बार में पूछा था, उसके बारे में बताइये ?

SHRI P. C. SETHI : I will be writing. As far as the question raised by Mr. Parmar is concerned, out of 365 days, they are on parole for 240 days. This question has to be enquired from the Gujarat Government.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has replied to him. Shri Mallu.

SHRI A. R. MALLU : A judicial enquiry ordered by the State Government remains against Telugu Desam, MLA**

Who is responsible for the atrocities against the harijans as per the report of the judicial enquiry. But no action has been taken by the State Government.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You should not mention the name of any person.

SHRI A. R. MALLU : In spite of the judicial enquiry report no action has been taken against**

MR. DEPUTY-SPEAKER Mr. Paswan.

श्री राम विलास पासवान : I am not making any personal allegation here. मैंने कहा था कि बिहार थे जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, उसमें भूमि सेना का हाथ है। यह बड़े-बड़े पूंजीपतियों का आरगेनाइजेशन है। उसको बैन किया जाना चाहिए। उनके हथियारों को सीज किया जाए। जनता पार्टी के समय डी० एम० और एस० पी० पर उत्तरदायित्व डाला गया था। आप उससे भी आगे जाकर इन आफिसर्स को सस्पेन्ड कीजिए। श्री कर्पूरी ठाकुर, जो वहां पर अपोजीशन के लीडर हैं उनको थ्रैटनिंग लैटर मिले हैं कि जान से मार दिया जायेगा। गवर्नमेंट लाइसेंसों को सीज कीजिए। इस संस्था पर प्रतिबन्ध लगायेंगे तो सदन में और बाहर आपकी छाप पड़ेगी।

SHRI P. C. SETHI : Sir, as far the banning of this organisation as unlawful is concerned, as was done in the case of AISSF, from the Punjab Government, we have received a report. We have delcared that organisation as unlawful. I would be asking the Chief Minister of Bihar to make out a case against bhoomisena so that we can take suitable legal action against this organisation.

As far as officers in the districts are concerned, I fully agree with the hon. Member that just as they are held responsible for the communal riots, they should be held responsible whenever such incidents of atrocities against the scheduled castes and scheduled tribes take place and the officer concerned should be held responsible and, for good work, they should be awarded but for bad work, they should be punished.

श्री राम विलास पासवान : कर्पूरी ठाकुर की जान पर खतरा है, उन्हें थ्रैटनिंग मिल रहा है, आप बिहार गवर्नमेंट को कहें।

(व्यवधान)

SHRI P. C. SETHI : I will inquire from the Bihar Government.

(Interruptions)

SHRI A. R. MALLU : Sir, Mr. Venkatasubbaiah has visited that place. He knows everything. The judicial inquiry reveals that Shri Gopal Raju, Telugu Desam MLA's followers were responsible. No action has been taken

**Not recorded.

[Shri A. R. Mallu]

by the State Government.. I request the hon. Minister to entrust this work to the CBI. I want an assurance to this effect from the hon. Minister.

MR. DEPUTY SPEAKER : The inquiry was ordered by the State Government. How can the Centre interfere ? We have had full discussion and the Minister has also replied to the clarifications.

19.57 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 28, 1984/Chaitra 8, 1906 (Saka).

Printed at : Sunlight Printers Delhi-6